

### 1.a संविधान का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत The Secular Principle of the Constitution

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्थानित है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र में विविधता को सम्मान देने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का कार्य करता है।

#### 1. धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप:

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसे प्रचारित करने और बदलने की स्वतंत्रता है। साथ ही, राज्य को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि वह किसी भी धर्म को प्राथमिकता न दे और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे।

#### 2. धर्मनिरपेक्षता और भारतीय समाज:

भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों, और संस्कृतियों का मेलजोल है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता एक आवश्यक सिद्धांत है, जो समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने में मदद करता है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य भारतीय समाज में किसी विशेष धर्म को उच्च या निम्न नहीं मानना, बल्कि यह हर धर्म का सम्मान करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की बात करता है।

#### 3. धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक परीक्षण:

##### 3.1 प्रवृत्तियों का मिश्रण:

भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सबसे बड़ा आलोचना बिंदु यह है कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या समय-समय पर भिन्न रही है। कई बार धर्मनिरपेक्षता का पालन केवल एक दिशा में ही किया गया है, जैसे कि एक धर्म विशेष की पक्षधरता की कोशिश करना, जबकि अन्य धर्मों के प्रति समानता की भावना कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, कई बार सरकारों ने हिन्दू धर्म के प्रति पक्षपाती नीतियाँ अपनाई हैं, जबकि मुस्लिम या अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है।

##### 3.2 धार्मिक हस्तक्षेप:

हालाँकि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन धर्म राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। जैसे कि धार्मिक शिक्षाओं, त्योहारों और धार्मिक प्रतीकों को सरकारी संस्थाओं में बढ़ावा दिया जाता है, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। इस तरह का हस्तक्षेप न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, बल्कि इससे धार्मिक भेदभाव भी उत्पन्न होता है।

##### 3.3 राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग:

भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत राजनीतिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने वोट बैंक को सशक्त बनाने के लिए धर्मों के बीच भेदभाव बढ़ाते हैं। यह एक प्रकार का धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग है, जो भारतीय समाज में धार्मिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे उदाहरणों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण या विशेष सहूलतें देना, जबकि अन्य समुदायों को नजरअंदाज करना शामिल हो सकता है।

##### 3.4 धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संघर्ष:

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता दोनों का समर्थन किया गया है, लेकिन कभी-कभी ये दोनों एक-दूसरे के साथ संघर्ष में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी धर्म विशेष के लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए राज्य की नीतियों से टकराते हैं, तो

इसे किस तरह से सुलझाया जाए, यह सवाल सामने आता है। कुछ मामलों में धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए राज्य को धर्मनिरपेक्ष बने रहना मुश्किल हो जाता है।

#### **4. धर्मनिरपेक्षता की सफलताएँ:**

हालांकि आलोचनाएँ हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारतीय समाज में बहुत सी सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्न करता है। यह भारतीय समाज में बहुसंस्कृतिवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, संविधान ने धार्मिक भेदभाव की रोकथाम की है और यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार हो।

#### **5. निष्कर्ष:**

संविधान का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है, लेकिन इसका सही तरीके से पालन करना चुनौतीपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षता का आदर्श भले ही समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देता हो, लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से इसके कार्यान्वयन में कई बाधाएँ हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, धार्मिक भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता के गलत उपयोग की स्थिति में इसे एक कठिन परिपेक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए और इसके प्रभावी पालन की दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि भारतीय समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहे।

#### **b. न्यायिक सक्रियतावाद का आलोचनात्मक परीक्षण A Critical Examination of Judicial Activism**

न्यायिक सक्रियतावाद (Judicial Activism) वह दृष्टिकोण है, जिसमें न्यायालय अपने कर्तव्यों की सीमा को पार करते हुए, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। इसमें न्यायालय समाज की आवश्यकताओं, संवैधानिक मूल्यों, और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से न्यायिक निर्णय लेते हैं, भले ही यह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से बाहर हो।

न्यायिक सक्रियतावाद की उत्पत्ति: भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की शुरुआत 1970 के दशक में उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया और न्यायिक अधिकारों का विस्तार किया। केशवानंद भारती (1973) केस और लोकपाल एक्ट से जुड़े फैसले, न्यायिक सक्रियतावाद के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यह आंदोलन तब और बढ़ा जब अदालतें समाज के विभिन्न मुद्दों पर खुद से पहल करते हुए हस्तक्षेप करने लगीं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार, और मानवाधिकारों की रक्षा।

#### **न्यायिक सक्रियतावाद के सकारात्मक पहलू:**

सामाजिक न्याय की रक्षा: न्यायिक सक्रियतावाद ने भारतीय समाज में न्याय की पहुंच को बेहतर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने उन अधिकारों की रक्षा की है, जिन्हें पहले उपेक्षित किया जाता था। उदाहरण के लिए, डीके बासु केस (1997) में कोर्ट ने पुलिस की गिरफ्तारी और यातना के खिलाफ दिशा-निर्देश दिए। न्यायिक सक्रियतावाद ने इस तरह के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संविधान की रक्षा: न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की है, जैसे केशवानंद भारती केस में। यह संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करता है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, और समानता, जो अन्य शाखाओं द्वारा खतरे में डाल दिए जाते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता पर नियंत्रण: न्यायालय ने कई बार विधायिका और कार्यपालिका की विफलताओं के कारण हस्तक्षेप किया है। जैसे, प्याजी सिंह प्रकरण (1981) में न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता महसूस की और हस्तक्षेप किया। इस प्रकार, न्यायपालिका ने सत्ता के अन्य अंगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर किया।

मानवाधिकारों की सुरक्षा: न्यायिक सक्रियतावाद ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे अधिकार की पुनर्रचना में न्यायालय ने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किया और नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा दिया। कोर्ट ने उन अधिकारों की भी रक्षा की है जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं हैं, जैसे Right to Privacy।

#### न्यायिक सक्रियतावाद की आलोचना:

संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन: न्यायिक सक्रियतावाद की आलोचना यह है कि यह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। न्यायालय का यह दखल अक्सर इसके मूल कर्तव्यों के बाहर चला जाता है और इसका परिणाम संवैधानिक असंतुलन हो सकता है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं का संतुलन गड़बड़ सकता है, जहां न्यायपालिका के निर्णय विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

अति सक्रिय न्यायपालिका का खतरनाक प्रभाव: जब न्यायालय अपनी भूमिका से बाहर जाकर कानून बनाने की कोशिश करता है, तो यह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है। न्यायिक सक्रियतावाद, कई बार, न्यायपालिका को "न्यायिक सत्ता" (Judicial Supremacy) के रूप में दिखा सकता है, जिससे अन्य अंगों की वैधता को खतरा हो सकता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप: न्यायपालिका का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यायिक सक्रियतावाद कई बार विधायिका के अधिकारों को चुनौती देता है, जैसे चुनाव सुधार या संसद द्वारा पारित विधियों पर न्यायालय का निर्णय। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है, जहां विधायिका और कार्यपालिका को अपने कार्यों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

न्यायिक अतिवाद (Judicial Overreach): न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक अतिवाद भी कहा जाता है, जब अदालतें विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती हैं। इससे लोकतांत्रिक ढांचे की स्थिरता पर खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, उदय घोष और बाला थिरुमनी केस में कोर्ट ने सरकार को सुधारने के लिए सुझाव दिए, लेकिन यह पारंपरिक न्यायिक सीमा के बाहर था।

न्यायिक प्रक्रिया में गतिरोध: न्यायिक सक्रियतावाद का एक नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि यह न्यायपालिका पर अधिक दबाव डाल सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। जब न्यायालयों को हर छोटे मुद्दे पर हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो यह न्यायिक प्रणाली को धीमा कर सकता है और इससे न्याय की पहुंच प्रभावित हो सकती है।

#### निष्कर्ष:

न्यायिक सक्रियतावाद भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन यह कई विवादों और आलोचनाओं का कारण भी है। जब न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करता है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन को चुनौती दे सकता है। हालांकि, यह सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और संविधान की रक्षा में एक प्रभावी साधन हो सकता है, लेकिन इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए, न्यायिक सक्रियतावाद को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए ही लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों का उल्लंघन न करे।

### c. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ The Pardoning Powers of the President and the Governor

भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। यह शक्ति उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है, जिससे वह किसी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, या उसे स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उद्देश्य

न्यायिक सुधार, मानवता, और समाज में सामंजस्य बनाए रखना है। इस शक्ति का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है और इसका उपयोग संवैधानिक मार्गदर्शन के तहत किया जाता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में, क्षमादान शक्ति कार्यपालिका, विशेषकर राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई एक विशेष शक्ति है। जिसके तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल उन लोगों को क्षमा या रियायत दे सकते हैं जिन्हें अपराध का दोषी ठहराया गया है या जिन पर अपराध का मुकदमा चल रहा है।

**भारत में क्षमादान शक्ति के उद्देश्य**

- कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए द्वार खुला रखना।
- उस सजा से राहत देना, जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अनावश्यक रूप से अत्यधिक कठोर मानते हैं।

क्षमादान शक्ति का उद्देश्य केवल न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना नहीं है, बल्कि यह समाज में सुधार, मानवता, और समाज में सामंजस्य बनाए रखना भी है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **सुधारात्मक उद्देश्य (Reformative Purpose):** राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का एक प्रमुख उद्देश्य दोषियों को सुधारने का अवसर प्रदान करना है। यदि किसी दोषी ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं या जेल में अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया है, तो उसे सजा से मुक्ति दी जा सकती है। यह समाज में सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है।
- **न्याय में सुधार (Correction of Judicial Errors):** कभी-कभी न्यायिक प्रणाली में गलती हो सकती है। जैसे, कोई निर्दोष व्यक्ति सजा प्राप्त कर सकता है, या किसी व्यक्ति को अत्यधिक सजा दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके न्याय में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अनजाने में सजा मिली हो, तो उसे माफ किया जा सकता है।
- **मानवता और सहानुभूति (Humanitarian Grounds):** यह शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ मानवीय कारणों को ध्यान में रखते हुए दंड में राहत दी जाती है। उदाहरण के लिए, किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सजा देने का कोई तात्पर्य नहीं होता, और राष्ट्रपति उसे सजा से मुक्ति दे सकते हैं।
- **राजनीतिक उद्देश्य (Political Objectives):** राष्ट्रपति का यह अधिकार कभी-कभी सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के उद्देश्य से भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना जो किसी राजनीतिक उथल-पुथल का हिस्सा हो और जिसने अब सुधारात्मक कदम उठाए हों।

**भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति**

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान करता है, जिन व्यक्तियों पर किसी अपराध का मुकदमा चलाया गया है और उन्हें दोषी ठहराया गया है, ऐसे सभी मामलों में जहाँ:
  - सजा या दंड किसी संघीय कानून के उल्लंघन के लिए है।
  - सजा या दंड किसी कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) द्वारा दिया गया है।
  - सजा मृत्युदंड है।
- भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्षमा (Pardon), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), विराम (Respite) या प्रविलंबन (Reprieve) देने की शक्ति शामिल है। इन सभी घटकों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

**क्षमा (Pardon)**

भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराधी को 'क्षमा' देने से सजा और दोषसिद्धि दोनों समाप्त हो जाती है। यह दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।

### लघुकरण (Commutation)

‘लघुकरण’ का अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलना। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, जिसे आगे साधारण कारावास में बदला जा सकता है।

### परिहार (Remission)

‘परिहार’ का अर्थ है सजा की अवधि को उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन किए बिना कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा को घटाकर एक वर्ष के लिए कठोर कारावास किया जा सकता है।

### विराम (Respite)

‘विराम’ का अर्थ है किसी विशेष परिस्थिति के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देना, जैसे कि दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था।

### प्रविलंबन (Reprieve)

‘प्रविलंबन’ का अर्थ है किसी सजा को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, ताकि दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या दंड परिवर्तन की मांग करने का समय मिल सके।

### राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, कम करने या स्थगित करने, या उस सजा को बदलने की शक्ति प्रदान करता है, जो किसी ऐसे कानून के उल्लंघन से संबंधित है जो उस मामले से जुड़ा है जिस तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तारित है।
- भारत के राष्ट्रपति के समान ही, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में क्षमा (Pardon), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), विराम (Respite) या प्रविलंबन (Reprieve) देने की शक्ति शामिल है।
- इस प्रकार, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के लगभग समान है। यद्यपि, दोनों कुछ मामलों में भिन्न हैं।
  - राज्यपालों और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है।

| राष्ट्रपति (President)                                                                                                                                   | राज्यपाल (Governor)                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रपति किसी भी संघीय कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा या दंड को क्षमा, विराम, कम करने, स्थगित करने या बदल सकता है।       | राज्यपाल किसी भी राज्य कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा या दंड को क्षमा, विराम, कम करने, स्थगित करने या बदल सकता है। |
| राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा, विराम, कम करने, स्थगित करने या बदल सकता है। वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं।                                         | राज्यपाल केवल मृत्युदंड को स्थगित, कम या परिवर्तित कर सकते हैं। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते।                                              |
| राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा दी गई सजा या दंड के संबंध में क्षमा, विराम, कम करने, स्थगित करने, माफ करने या बदलने का अधिकार प्राप्त है। | राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।                                                                                                          |

- **केहर सिंह बनाम भारत संघ मामला (1988):** इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की जांच की और निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:
  - दया याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
  - राष्ट्रपति सबूतों की नए सिरे से जांच कर सकते हैं और अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं।
  - यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग की जानी चाहिए।
  - राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
  - राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, कपटपूर्ण या भेदभावपूर्ण हो।

### . राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित प्रमुख मामले

भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित कुछ प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, जिनमें राष्ट्रपति ने अपराधियों को माफ किया है या उनकी सजा को कम किया है। यह शक्ति विशेष रूप से **कठिन समय** में राजनीति और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण के रूप में:

- **अफजल गुरु केस:** अफजल गुरु, जो संसद हमले के मामले में दोषी ठहराए गए थे, उनके मामले में राष्ट्रपति ने मृत्युदंड के फैसले को खिलाफ कोई क्षमादान नहीं दिया। इस मामले में राष्ट्रपति का निर्णय विशेष रूप से विवादास्पद रहा था।
- **राजीव गांधी हत्याकांड:** कुछ दोषियों को उनके अच्छे आचरण के कारण सजा में राहत दी गई थी, और कुछ मामलों में राष्ट्रपति ने सजा को कम करने का निर्णय लिया था।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को निम्नलिखित आधारों पर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है:

- **दुरुपयोग की संभावना (Potential for Abuse):** ऐसी चिंता है कि क्षमादान शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए या कार्यपालिका से करीबी संबंध रखने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। मामले की योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक लाभों के बदले में क्षमादान दिया जा सकता है।
- **विधि के शासन को कमजोर करना (Undermining the Rule of Law):** क्षमादान शक्ति को कार्यपालिका को न्यायपालिका के निर्णयों को अस्वीकार करने या उन्हें दरकिनार करने की अनुमति देकर कानून के शासन को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
- **पारदर्शिता का अभाव (Lack of Transparency):** क्षमादान के पीछे का निर्णय लेने की प्रक्रिया सामान्यतः अपारदर्शी होती है, जिसमें कार्यपालिका के कार्यों के लिए बहुत कम सार्वजनिक जांच या औचित्य प्रदान किया जाता है। पारदर्शिता की इस कमी से मनमानी और पक्षपात की धारणाएँ पैदा हो सकती हैं।
- **न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना (Undermining Judicial Independence):** क्षमा को न्यायपालिका द्वारा किए गए सजा के निर्णयों को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है, जो संभावित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को कम स्वतंत्र और कम सम्मानित बनाता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का महत्व बहुत व्यापक है। यह न केवल न्यायिक सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में सुधार, मानवीय दृष्टिकोण, राजनीतिक स्थिरता, और संविधानिक संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। यह शक्ति समाज में उन व्यक्तियों को पुनः स्थिरता और सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है, जिन्होंने सुधार की प्रक्रिया में योगदान किया है। अतः, यह शक्ति न्याय प्रणाली को लचीला और मानवतावादी बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

**d. पर्यटन उद्योग में बिहार की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की क्षमता का परीक्षण कीजिए। Evaluate the potential of the tourism industry in developing Bihar's economy.**

बिहार, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जिसमें पर्यटन उद्योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पर्यटन के लिहाज से एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। हालांकि, बिहार का पर्यटन उद्योग पूरी क्षमता से विकसित नहीं हुआ है, फिर भी राज्य में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

**1. धार्मिक पर्यटन का महत्व:**

बिहार धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं:

- बोधगया: बोधगया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह विश्वभर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस स्थान पर अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं।
- नालंदा विश्वविद्यालय: यह प्राचीन विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा का एक ऐतिहासिक केंद्र था और आज भी ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है।
- पटना साहिब गुरुद्वारा: यह सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है।
- वैष्णो देवी और अन्य मंदिर: बिहार में धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिरों का बड़ा नेटवर्क है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।

**2. ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक पर्यटन:**

बिहार की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख कारण हो सकते हैं:

- कुम्हारार और पटना का पुराना शहर: बिहार में प्राचीन काल से कई महलों और स्थापत्य कलाओं का अस्तित्व है, जो इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।
- राजगीर: यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के गर्म पानी के कुंड और पर्यटकों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती हैं।
- कर्ण माला, विक्रमशिला और अंग विद्वेपी: ये स्थल भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और यदि इन स्थलों की उचित प्रचार-प्रसार किया जाए तो पर्यटन में और वृद्धि हो सकती है।

**3. प्राकृतिक पर्यटन (Ecotourism):**

बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य और अनोखी पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ भी पर्यटन के लिए अवसर प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर:

- सोनपुर मेला: यह मेला एक वार्षिक उत्सव है जिसमें विशाल पशु मेला होता है। यह मेला बिहार की एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान बन चुका है और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
- संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र: बिहार के जंगलों और नदी क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य है। जैसे-किस्मत का जंगल, गंगा नदी और कोसी नदी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में इकोटूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, तो बिहार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सस्टेनेबल तरीके से हो सकता है।

**4. पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास:**

बिहार में पर्यटन की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसमें होटल, परिवहन, यात्री सुविधाएँ, और पर्यटन केंद्रों की देखभाल शामिल हैं:

- बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क: बिहार के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, जिससे पर्यटकों को असुविधा होती है। बिहार में सड़क और रेलवे नेटवर्क का विस्तार और बेहतर बनाना आवश्यक है। साथ ही, हवाई याता की सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता है।
- आधुनिक होटल और सुविधाएँ: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक होटल, रिसॉर्ट और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाओं की जरूरत है। इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा।

#### 5. प्रचार-प्रसार और राज्य सरकार की भूमिका:

बिहार सरकार को पर्यटन क्षेत्र में जागरूकता और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसके तहत, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए:

- मीडिया और विज्ञापन: बिहार के पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक स्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए एक मजबूत मीडिया अभियान की आवश्यकता है।
- पर्यटन नीति और निवेश: राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ और योजनाएँ बनानी चाहिए।

#### 6. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

पर्यटन उद्योग के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:

- रोजगार सृजन: पर्यटन उद्योग से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, जैसे होटल उद्योग, गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प, आदि।
- स्थानीय व्यापार को बढ़ावा: पर्यटन से स्थानीय व्यापार और कारीगरों की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी को बढ़ावा देंगे।

निष्कर्ष:

बिहार में पर्यटन उद्योग के विकास की अपार क्षमता है, बशर्ते राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से बढ़ावा दें। राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक, और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बना सकते हैं। यदि बुनियादी सुविधाओं, प्रचार, और सरकार की नीतियों में सुधार किया जाए, तो बिहार पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान बना सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान कर सकता है।

#### e. बिहार एग्जिट नीति 2025 Bihar Exit Policy 2025

बिहार सरकार ने "बिहार एग्जिट नीति 2025" का मसौदा प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन और निजीकरण के माध्यम से सरकारी व्यय में सुधार करना है। यह नीति अक्षम, घाटे में चल रहे और गैर-लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार की चरणबद्ध वापसी (Exit) को सुनिश्चित करती है, जिससे "सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।

मुख्य बिंदु

**1. बिहार एग्जिट नीति 2025 की पृष्ठभूमि**

- बिहार में 63 से अधिक सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) हैं, जिनमें से अधिकांश घाटे में चल रहे हैं।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, राज्य के PSUs पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा है।
- सरकार इन अक्षम कंपनियों से बाहर निकलकर निजी निवेश को आकर्षित करना और संसाधनों का पुनर्वितरण करना चाहती है।

**2. नीति के प्रमुख उद्देश्य**

- अक्षम सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करना या निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- सरकारी पूंजी का कुशल प्रबंधन और वैकल्पिक विकास क्षेत्रों में निवेश।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर औद्योगिकीकरण को तेज करना।
- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना।

**3. बिहार एग्जिट नीति 2025 के प्रमुख प्रावधान**

**(क) सरकार का चरणबद्ध निकास (Exit Mechanism)**

- घाटे में चल रहे या अक्षम PSUs को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।
- संभावित निजी निवेशकों को साझेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भूमि और अन्य संपत्तियों का वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

**(ख) निजीकरण और विनिवेश (Privatization & Disinvestment)**

- राज्य सरकार पूरी तरह से बाहर निकल सकती है या रणनीतिक विनिवेश कर सकती है।
- कुछ PSUs में “PPP (Public-Private Partnership) मॉडल अपनाया जाएगा।
- निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएँगी।

**(ग) कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा**

- घाटे में चल रहे PSUs के कर्मचारियों के लिए पुनर्वास योजनाएँ लागू की जाएँगी।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का प्रावधान किया जाएगा।
- कर्मचारियों को अन्य सरकारी या निजी नौकरियों में पुनर्नियुक्ति (Reallocation) का अवसर दिया जाएगा।

**(घ) औद्योगिक और निवेश बढ़ावा**

- PSU से मुक्त भूमि और संपत्तियों का उपयोग नए औद्योगिक क्षेत्रों और स्टार्टअप्स के लिए किया जाएगा।
- बिहार में Ease of Doing Business सुधारों के तहत “निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप्स के लिए नए प्रोत्साहन दिए जाएँगे।

**4. बिहार की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव**

**(क) सकारात्मक प्रभाव -**

- राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार: घाटे में चल रहे उपक्रमों से निकलने से सरकार के वित्तीय संसाधन अन्य विकास कार्यों में निवेश किए जा सकते हैं।
- निजी निवेश को बढ़ावा: निजी कंपनियों को आकर्षित करने से नए उद्योग और स्टार्टअप्स विकसित हो सकते हैं।
- रोजगार सृजन: नए औद्योगिक और व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग: बंद किए गए PSUs की भूमि और परिसंपत्तियों का उपयोग औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के लिए किया जाएगा।

(ख) संभावित चुनौतियाँ-

- कर्मचारियों की बेरोजगारी: यदि पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं।
- निजी निवेशकों की रुचि: बिहार के औद्योगिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की सीमाओं के कारण निजी निवेश आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है।
- नीति कार्यान्वयन की जटिलता: भूमि विवाद, कानूनी प्रक्रियाएँ और राजनीतिक अस्थिरता नीति के क्रियान्वयन में बाधा डाल सकते हैं।

#### 5. नीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम

- श्रमिक कल्याण और पुनर्वास: कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापन और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना।
- बुनियादी ढांचे में सुधार: लॉजिस्टिक्स, बिजली, पानी और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर निजी निवेशकों को आकर्षित करना।
- नीति में पारदर्शिता: निजीकरण और निवेश प्रक्रिया को पारदर्शपूर्ण और उत्तरदायी बनाना।
- PPP मॉडल को प्राथमिकता: सरकार को पूरी तरह बाहर निकलने के बजाय PPP मॉडल को अपनाने पर जोर देना चाहिए।

#### निष्कर्ष:

बिहार एग्जिट नीति 2025 “राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने और औद्योगिकीकरण को गति देने की एक रणनीतिक पहल है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह “राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, निजी निवेश को आकर्षित कर सकती है और बिहार को औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकती है। हालाँकि, नीति को प्रभावी बनाने के लिए “सुधारों की निरंतरता, श्रमिक कल्याण और निवेश-अनुकूल माहौल” सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

**2.a संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों के हितों की रक्षा करने में किस सीमा तक समर्थ हैं? समालोचनात्मक परीक्षण करें।**

**To what extent are the fundamental rights described in the Constitution capable of protecting the interests of citizens? Conduct a critical analysis.**

भारतीय संविधान के भाग III में वर्णित मूल अधिकार (Fundamental Rights) नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सबसे प्रभावी साधन माने जाते हैं। ये अधिकार नागरिकों को संविधान के तहत दिए गए हैं, और इनका उल्लंघन सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार सुनिश्चित किए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म, अभिव्यक्ति और एकल होने की स्वतंत्रता, संविधानिक सुरक्षा, और संविधानिक दायित्व।

हालांकि, इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना है, लेकिन इन अधिकारों की सीमाएँ और कानूनी जटिलताएँ भी हैं।

**मूल अधिकारों के प्रमुख तत्व:**

**1. समानता का अधिकार (Article 14-18):**

- यह अधिकार नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है।

**2. स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19-22):**

- इसमें अभिव्यक्ति, आंदोलन, सभा, संघ बनाने, और कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है।

**3. धार्मिक स्वतंत्रता (Article 25-28):**

- यह अधिकार नागरिकों को अपनी धर्म, पूजा, और धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

**4. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Article 29-30):**

- यह अधिकार नागरिकों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने, और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

**5. संविधानिक सुरक्षा (Article 32-35):**

- यह अधिकार नागरिकों को न्यायालयों से उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और यदि किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वे उच्च न्यायालय से रक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

**मूल अधिकारों की सीमा:**

**1. सामाजिक और सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर सीमाएँ:**

- संविधान में दी गई मूल अधिकारों पर कुछ शर्तें और सीमाएँ भी हैं। जैसे, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, या राज्य की अखंडता के हित में कुछ अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार है।
- धार्मिक स्वतंत्रता (Article 25) पर भी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, या नैतिकता के आधार पर सरकार धार्मिक क्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है।
- स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19) के तहत दी गई स्वतंत्रताओं पर भी सरकार द्वारा एक सामान्य सार्वजनिक नीति, सुरक्षा और अनुशासन के नाम पर रोक लगाई जा सकती है।

**2. न्यायिक हस्तक्षेप और संविधानिक सीमाएँ:**

संविधानिक सुरक्षा का अधिकार (Article 32) नागरिकों को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, यह अधिकार केवल तब लागू होता है जब न्यायिक दृष्टिकोण से उल्लंघन वास्तविक और संवैधानिक हो। न्यायालयों में अपील लंबी प्रक्रिया हो सकती है।

**3. धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन:**

विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को अपनी धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को पालन करने का अधिकार है, लेकिन कुछ धार्मिक प्रथाओं जो सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य नागरिक अधिकारों के खिलाफ होती हैं, उन पर संविधानिक प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तीन तलाक या प्रथागत हत्याएँ जैसी प्रथाएँ जिनका समाज में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, उन्हें सीमित किया जा सकता है।

#### 4. अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियाँ:

समाजवादी राज्य के सिद्धांत के तहत, सरकार को कुछ मामलों में संपत्ति के अधिकार (Article 300A) को भी सीमित करने का अधिकार है, जैसे राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण करना। यह संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने के बावजूद राज्य को उसकी सीमाएँ निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसी आधार पर इसे मूल अधिकार की सूची से निलम्बित भी कर दिया गया।

#### 5. आपातकाल की स्थिति (Article 352, 358, 359):

संविधान ने आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किया है। यदि देश में युद्ध या आंतरिक अशांति जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति के आदेश से मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह व्यवस्था मूल अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर देती है, जिसके कारण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में अस्थायी कमी हो सकती है।

#### 6. राजनीतिक अधिकारों का सीमित होना:

संविधान ने आत्मनिर्णय (Right to self-determination) जैसे राजनीतिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया है, विशेषकर जब यह राज्य की अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ हो। इसी तरह, शांति, एकता, और अखंडता के लिए संवैधानिक सीमाएँ भी हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लागू होती हैं।

#### 7 न्यायिक अवमानना अधिनियम:

इसके अलावा न्यायिक अवमानना अधिनियम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

#### समालोचना:

##### 1. मूल अधिकारों का सीमित प्रभाव:

संविधान में दिए गए मूल अधिकार नागरिकों को एक आदर्श स्थिति में सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में इन अधिकारों का प्रभावी और समान कार्यान्वयन कभी-कभी बाधित हो जाता है। न्यायपालिका पर बोझ और प्रशासनिक विलंब, खासकर न्यायालयों में लंबी कानूनी प्रक्रिया, नागरिकों को उनके अधिकारों की त्वरित प्राप्ति में समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

##### 2. संविधान की लचीलापन और आधुनिक परिस्थितियाँ:

संविधान ने मूल अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित की हैं, जो कभी-कभी आधुनिक समाज के विकसित और बदलते संदर्भों से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, सूचना के अधिकार (RTI) जैसे नए अधिकारों की शुरुआत ने संविधान में मौलिक अधिकारों के व्याख्यायन को चुनौती दी है, लेकिन मूल अधिकारों की अवधारणा में आवश्यक सुधार की कमी महसूस होती है।

##### 3. समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा:

समानता का अधिकार और अवसरों की समानता का प्रावधान, हालांकि आदर्श रूप में अच्छा है, समाज में सामाजिक असमानता को समाप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। जातिवाद, लिंग भेदभाव, और अन्य सामाजिक बुराईयाँ समाज में विद्यमान हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

**निष्कर्ष:**

भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार नागरिकों को “कानूनी सुरक्षा और स्वतंत्रता” प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, लेकिन इन अधिकारों की प्रभावशीलता “कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली” की कार्यक्षमता, न्यायिक फैसलों की गति, और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ पर निर्भर करती है। इसके बावजूद, भारतीय लोकतंत्र में “मूल अधिकारों का संरक्षण” लोकतंत्र की आत्मा के रूप में कार्य करता है, और समय-समय पर इसके व्याख्यायन और विकास की आवश्यकता होती है, ताकि ये अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकें।

**b. भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने का मुद्दा फिर से चर्चा में है, भारत जैसी विविधतापूर्ण देश के लिए इस प्रकार के एकरूपता की मांग कहां तक वांछनीय है?**

**The issue of implementing a Uniform Civil Code in India is being discussed again. How desirable is the demand for such uniformity in a diverse country like India?**

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code, UCC)” वह कानूनी व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होते हैं, जो उनके धर्म, जाति या लिंग से ऊपर होते हैं। भारत में यह अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो कहता है, “राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाएगा।” हालांकि इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, और यह एक विवादास्पद मुद्दा बनकर रह गया है। भारत में इस मुद्दे की पुनः चर्चा का कारण यह है कि विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होते हैं, जो एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को महसूस कराते हैं। इस चर्चा को तब पहले से ज्यादा बल मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस संदर्भ में बात की इसके अलावा बीजेपी अपने चुनावी बयानों में भी इस तरह के कानून का जिक्र करती रहती है |उत्तराखंड हाल ही में अपने राज्य में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना है गोवा में ऐसा कानून बहुत पूर्व से ही लागू है|

**भारत में समान नागरिक संहिता की चर्चा**

भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य महान नेताओं ने संविधान में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को अनुशंसित किया था, लेकिन इसे तत्काल लागू नहीं किया गया था, क्योंकि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए इसे संवेदनशील माना गया। भारतीय समाज में विविधता इतनी व्यापक है कि कोई एक समान कानून सभी समुदायों को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता था।

हालांकि, समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक विचारकों द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की जाती रही है। कुछ संगठनों और दलों ने इसे महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक समानता के साधन के रूप में पेश किया है।

**समान नागरिक संहिता की आवश्यकता:**

भारत में धर्म, संस्कृति, और जाति की विविधता के कारण विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून है, मुसलमानों के लिए मुसलमान पर्सनल लॉ है, और क्रिश्चियन, पारसी आदि के लिए भी उनके अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यह कानूनी विभाजन विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव और असमानता का कारण बन सकता है, क्योंकि समाज के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग कानून लागू होते हैं।

समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग इसलिए उठती है ताकि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य हों, और व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

**भारत में समान नागरिक संहिता की वांछनीयता:**

**1. संविधान की उद्देश्यता:**

भारतीय संविधान की उद्देश्यता समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की है। एक समान नागरिक संहिता इस उद्देश्यता के अनुरूप हो सकती है, अगर इसे धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से लागू किया जाए। हालांकि, इसे लागू करते समय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

**2. धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता:**

भारत जैसे विविधता-पूर्ण समाज में यह आवश्यक होगा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले सभी समुदायों के साथ संवाद किया जाए, और उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाए। यदि यह समान नागरिक संहिता धार्मिक विविधता का सम्मान करती है और उसमें सभी समुदायों के संवेदनाओं का ख्याल रखा जाता है, तो यह समाज में समरसता और एकता ला सकती है।

**3. सामाजिक समानता:**

समान नागरिक संहिता के माध्यम से सभी नागरिकों को एक समान कानूनी उपचार मिलेगा। इससे धर्म, जाति, या लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा, और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। उदाहरण के लिए, महिलाएं जिनके अधिकार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा प्रतिबंधित हैं, उन्हें समान अधिकार मिलेंगे।

**4. महिला अधिकारों की रक्षा:**

कई धार्मिक पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं, जैसे मुसलमानों के लिए तीन तलाक का प्रावधान या हिंदू कानून में महिलाओं को उत्तराधिकार में समान अधिकारों का अभाव। एक समान नागरिक संहिता इन असमानताओं को समाप्त कर सकती है और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर सकती है।

**5. विविधता में एकता:**

भारत में विविधताओं के बावजूद एक समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित कर सकती है। यह देश के विभिन्न समुदायों के बीच समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देगा।

**6. कानूनी व्यवस्था की सरलता:**

आज विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होने के कारण कानूनी प्रक्रियाएँ जटिल हो जाती हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से कानून में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी, और सभी के लिए समान प्रक्रियाएँ होंगी।

**भारत जैसे विविधता-पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता की चुनौतियाँ:**

**1. धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता:**

भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म और समुदाय की अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपराएँ हैं। इन परंपराओं में कोई बदलाव या एक समान कानून लागू करना धार्मिक संगठनों और अनुयायियों द्वारा विरोध का कारण बन सकता है। मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समुदायों के अपने-अपने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार

के कानून हैं, जो उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप हैं। एक समान नागरिक संहिता इन्हें प्रभावित कर सकती है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने का भय होता है।

## **2. राजनीतिक और सामाजिक विरोध:**

कई धर्म और सामाजिक समूह इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ मानते हैं। इससे राजनीतिक असहमति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताएँ राजनीतिक संदर्भ में एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इस प्रकार, इसका राजनीतिकरण हो सकता है और विभिन्न धार्मिक समूह इसे हिटलकरण के रूप में देख सकते हैं।

## **3. राज्य की भूमिका और संविधान की भावना:**

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो यह संविधान के उस प्रावधान से टकरा सकती है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो सकता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वासों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

## **4. समाज में असहमति और विरोध:**

समाज में अनेक समुदायों के बीच जागरूकता की कमी और आपसी समझ का अभाव है। समान नागरिक संहिता की जरूरत को लेकर विभिन्न समुदायों में गलत धारणाएँ और डर हो सकते हैं। इसके अलावा, कई समुदायों के नेता और संगठन इसे अपनी संस्कृति और पहचान पर हमले के रूप में देख सकते हैं।

### **निष्कर्ष:**

भारत में समान नागरिक संहिता की मांग एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है, जो न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत संवेदनशील है। यदि यह कानून लागू किया जाता है, तो यह समाज में समानता और न्याय की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले समाज में व्यापक संवाद, समझ और विभिन्न समुदायों की संवेदनाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।

**3.a बिहार में आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त पिछड़ेपन एवं असमानताओं के मुख्य कारण क्या हैं? उन सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए, जो इन विषमताओं को दूर करने में सहायक हैं।**

**What are the main causes of economic, social, and health disparities in Bihar? Discuss the government efforts that are helping to address these inequalities.**

बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक है, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और संरचनात्मक कारण है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समग्र विकास दर धीमी रही है। नीचे बिहार में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ेपन के मुख्य कारण दिए गए हैं।

### **1. शिक्षा और कौशल की कमी**

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ हैं। राज्य में साक्षरता दर (2011 जनगणना के अनुसार) 61.8% है, जो राष्ट्रीय औसत 74.04% से काफी कम है। विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में साक्षरता की स्थिति और भी खराब है। इसका परिणाम यह है कि राज्य के लोगों को अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और शिक्षा की कमी है।

## **2. आर्थिक विकास की कमी**

बिहार में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की दर बहुत धीमी है। राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार का GSDP लगभग ₹6.2 लाख करोड़ था, जो प्रति व्यक्ति ₹54,000 है, जबकि भारत का औसत ₹1,28,000 है। इस आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण आधारभूत संरचना (infrastructure) का अभाव और निवेश की कमी है।

## **3. कृषि पर निर्भरता**

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की कमी और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादन और उत्पादकता में कमी है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में कृषि मजदूरी कम है, और किसान आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। मूल्य श्रृंखला (Value chain) और कृषि विपणन की समस्याएँ भी हैं।

## **4. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी**

बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं। राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं का अभाव है, और अधिकतर सरकारी अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछड़ापन और चिकित्सकों की कमी एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए, बिहार में चिकित्सक की संख्या प्रति 10,000 जनसंख्या पर बहुत कम है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं कम है। 2020 में रिपोर्ट की गई कि बिहार में 22,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी थी।

### **कुछ प्रमुख आंकड़े:**

- बिहार में मातृ मृत्यु दर (MMR) 165 प्रति 100,000 जीवित जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है (2020-21 के आंकड़े)।
- टीकाकरण दर भी कम है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है।

## **5. संरचनात्मक और सामाजिक असमानताएँ**

बिहार में जातिवाद और सामाजिक असमानताएँ बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, जो समाज में गहरी असमानताओं को जन्म देती हैं। गरीबी और संवेदनशील जातियों (विशेषकर दलितों और आदिवासियों) के लिए विकास की सुविधाओं का अभाव है। राज्य में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। यह सामाजिक असमानता आर्थिक विकास को बाधित करती है।

## **6. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएँ**

बिहार में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो राज्य के विकास को प्रभावित करती है। राज्य सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, और अक्सर सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इसके साथ ही, प्रशासनिक और नीति निर्धारण में विफलता भी विकास की गति को प्रभावित करती है।

## **7. बुनियादी ढाँचे की कमी**

बिहार में सड़कें, पानी की आपूर्ति, शक्ति आपूर्ति और विकसित परिवहन प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचे की कमी है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कारण राज्य के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

## **8. बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएँ**

बिहार में बाढ़ एक सामान्य समस्या है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बाढ़ के कारण राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में और भी गिरावट आती है, क्योंकि कृषि, आवास और स्वास्थ्य सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं का दीर्घकालिक प्रभाव राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, और विकास कार्यों में रुकावट आती है।

बिहार सरकार ने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या को हल करने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना, लोगों की जीवन-स्तर में सुधार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।

### **1. शिक्षा क्षेत्र में सुधार**

- बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि राज्य में साक्षरता दर बढ़ सके और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्कर्ष योजना: यह योजना लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई है, जिसमें उन्हें मुफ्त में साइकिल और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- बिहार शिक्षा परियोजना (Bihar Education Project): इस परियोजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रौद्योगिकी का समावेश: बिहार सरकार ने ई-लर्निंग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ऑनलाइन शिक्षा मंचों की शुरुआत की है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और अधिक छात्रों तक पहुँच हो सके।

### **2. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार**

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार हो और मृत्यु दर में कमी आए।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (CM Health Insurance Scheme): इस योजना के तहत राज्य के गरीब और गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आर्थिक सहायता मिलती है।
- मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण: बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया गया है ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार ने 10 नए मेडिकल कॉलेजों की योजना बनाई है।
- स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड किया गया है।
- टीकाकरण अभियान: राज्य सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे राज्य में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया। इसने ममता मृत्यु दर को कम करने में मदद की है।

### **3. आर्थिक क्षेत्र में सुधार**

आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएं और पहलों की शुरुआत की है ताकि राज्य का आर्थिक विकास तेज हो सके और बेरोजगारी कम हो:

**बिहार निवेश नीति 2016:**

- यह नीति राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं।
- नवीनतम कृषि नीति: बिहार में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई कृषि नीति बनाई गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और बाजार तक पहुँच प्रदान करना है। कृषि विपणन प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की भी बढ़ोतरी की गई है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना: इस योजना के तहत छोटे उद्योगों और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
- बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक नीति बनाई गई है जो राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
- कृषि रोडमैप, औद्योगिक नीतियाँ और नई निकास नीति (new exit policy) 2025 बिहार में कृषि और उद्योग क्षेत्र को समृद्ध करने के दृष्टिकोण से लागू की जा रही हैं।

**4. संरचनात्मक सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार**

- सड़क और परिवहन सुधार: राज्य में सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए प्रमुख सड़क योजनाएं शुरू की गई हैं। एनएच 31 और एनएच 33 जैसी राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार किया गया है और ग्रामीण इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है।
- पानी की आपूर्ति और स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार में स्वच्छता और पानी की आपूर्ति के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। बिहार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- बिहार विद्युत आपूर्ति योजना: बिहार में बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। राज्य सरकार ने विद्युत सब्सिडी की योजना शुरू की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना आसान हुआ है। इसके अलावा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है।

**5. सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण**

बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है:

- **मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना:** इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और पोषण के साथ-साथ 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- **बिहार राज्य महिला आयोग:** महिला आयोग को मजबूत किया गया है ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
- **मुख्यमंत्री बालिका कन्या योजना:** इस योजना के तहत कन्याओं को पढ़ाई और सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है।

केन्द्र सरकार की योजनाएं-

**समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan):** इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारी फंडिंग प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की स्थिति को बेहतर बनाना है।

**प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:** यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, ताकि उन्हें पेंशन मिल सके। बिहार जैसे राज्यों में इसके अंतर्गत हजारों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है।

**आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat):** इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस योजना से बिहार के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** यह मिशन बिहार में मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने के लिए संचालित किया गया है। बिहार में 2019-2020 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार का मातृ मृत्यु दर 165 प्रति 100,000 जीवित जन्म था, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक था, लेकिन NHM की मदद से इसमें सुधार देखा गया है।

**केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में सहयोग:** बिहार में कई मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से किया जा रहा है।

### 3. आर्थिक सुधार

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** केंद्र सरकार ने बिहार में ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए PMGSY योजना के तहत भारी निवेश किया है। इस योजना से बिहार के दूरदराज इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है।

**केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं:** केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि (Agricultural Infrastructure Fund) जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत बिहार को सिचाई सुविधाओं, संगठित विपणन और मूल्य वृद्धि के लिए धन मुहैया कराया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत बिहार के किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है।

**आत्मनिर्भर भारत अभियान:** इस अभियान के तहत बिहार में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं की शुरुआत की है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

**बिहार निवेश नीति 2020:** केंद्र सरकार की मदद से बिहार सरकार ने एक नई बिहार निवेश नीति 2020 बनाई है, जिसके तहत राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं।

कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं से बिहार के कृषि उत्पादन में 7-8% की वृद्धि हुई है।

### 4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं

**प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:** इस योजना के तहत बिहार में 10 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे महिलाओं के लिए रसोई में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है।

**केंद्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA):** बिहार में मनरेगा के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया गया है। यह राज्य में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मददगार साबित हो रहा है।

**प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** बिहार के गरीबों को सस्ते मकान मुहैया कराने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिसके तहत लाखों घर बनाए गए हैं।

मनरेगा के तहत बिहार में 2021-22 में करीब 50 लाख कामगारों को रोजगार दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 10 लाख से अधिक घरों का निर्माण हुआ है।

#### 5. संरचनात्मक सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार

**स्वच्छ भारत मिशन:** केंद्र सरकार की मदद से बिहार में स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। सानाटों और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

**प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (Saubhagya Scheme):** इस योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे राज्य के 100% घरों में बिजली पहुँचाई जा रही है।

#### निष्कर्ष:

केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बिहार में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकारी प्रयासों को निरंतर जारी रखने और पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है। सही कार्यान्वयन और निगरानी के साथ, इन पहलों से राज्य के विकास की गति तेज हो सकती है और राज्य के पिछड़ेपन को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

**b. वर्तमान बिहार में उद्योगों की स्थिति की तुलना भारतीय परिदृश्य से कीजिए। बिहार के उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जहाँ खनिज-आधारित उद्योगों के समृद्ध होने की संभावना सर्वाधिक है।**

**Compare the current state of industries in Bihar with the Indian landscape. Identify the areas in Bihar where mineral-based industries have the highest potential for growth.**

बिहार भारत के सबसे कम औद्योगिकीकृत राज्यों में से एक है, जहाँ औद्योगिक विकास की दर अन्य राज्यों की तुलना में धीमी रही है। हालांकि, राज्य में कुछ सुधार हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के साथ बिहार में औद्योगिकीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर राज्य की औद्योगिक स्थिति अभी भी विकासशील है।

#### 1. बिहार में उद्योगों की स्थिति

बिहार में उद्योगों की स्थिति अभी भी धीमी विकास दर और निवेश की कमी" जैसी समस्याओं का सामना करती है। राज्य की औद्योगिकीकरण दर (industrialization rate) काफी कम है, और राज्य की अर्थव्यवस्था की अधिकांश निर्भरता "कृषि" पर है। बिहार के प्रमुख उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, "निर्माण, "सिल्क, "लोहा और इस्पात" और "खनिज" शामिल हैं, लेकिन ये राज्य के समग्र विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

- राज्य में औद्योगिकीकरण की दर केवल "2.5%" है, जबकि भारत की औसत औद्योगिकीकरण दर "26.5%" है।
- बिहार में एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए 2020 में बिहार सरकार ने "नवीनतम उद्योग नीति" पेश की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और "1 लाख नई नौकरियों" का सृजन करना है।

#### 2. मुख्य उद्योगों की स्थिति-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है। राज्य में गन्ना, मक्का, चावल, तेल” आदि के प्रसंस्करण के लिए उद्योग स्थापित हैं। लेकिन, इन उद्योगों को “संचालन और विपणन” की सुविधाओं की कमी है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) और “राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति” के तहत राज्य को कुछ लाभ मिल रहा है।
- हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग: बिहार में सिल्क उद्योग (मुख्य रूप से भागलपुर सिल्क) महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उद्योग “अत्यधिक पारंपरिक” और “कम विकसित” हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग” का और विकास करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार वस्त्र नीति शुरू की गई है।
- खनिज और खनन उद्योग: बिहार में खनिज संसाधनों की विविधता है, लेकिन खनन उद्योग” की क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पाया है। बिहार में “कोयला, चूना पत्थर, लोहा” और बालू” जैसी खनिजों की खपत है, लेकिन उद्योगों के लिए “आधुनिक प्रौद्योगिकी” और “पूजी निवेश” की कमी है।
- उर्जा क्षेत्र: बिहार में ऊर्जा संकट” अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, “प्रधानमंत्री सुषमा योजना” के तहत बिहार में “बिजली आपूर्ति” में सुधार हुआ है, लेकिन राज्य में “औद्योगिक आपूर्ति” के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है।

**बिहार का औद्योगिक परिदृश्य: भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलना”**

## **2. औद्योगिक विविधीकरण (Industrial Diversification):**

**बिहार:**

बिहार में “औद्योगिक विविधीकरण” की कमी है। राज्य में अधिकांश उद्योग “कृषि आधारित उद्योग” जैसे “खाद्य प्रसंस्करण, “सिल्क उत्पादन, और “सार्वजनिक निर्माण उद्योग” तक ही सीमित हैं। यहां के प्रमुख उद्योगों में “चावल मिल, “आटा मिल, “आरा मिल” और “लोहा व स्टील मिल्स” शामिल हैं, लेकिन इनकी संख्या और उत्पादन क्षमता कम है।

बिहार में “उद्योगों का आधुनिकीकरण” और “तकनीकी नवाचार” की भी कमी है। इसके अलावा, राज्य में “विदेशी निवेश” की भी कमी है और “प्राकृतिक संसाधनों” का दोहन अधिक प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है।

**भारत:**

भारत में औद्योगिक विविधीकरण की स्थिति काफी बेहतर है। “ऑटोमोबाइल, “इलेक्ट्रॉनिक्स, “मशीन टूल्स, “धातु प्रसंस्करण, “फार्मास्यूटिकल्स, और “टेक्सटाइल” जैसे क्षेत्रों में उच्च विकास हुआ है। विशेष रूप से “गुजरात, “महाराष्ट्र, और “तमिलनाडु” जैसे राज्यों में ये उद्योग काफी विकसित हैं।

भारत के “ऑटोमोबाइल उद्योग” का आकार ₹7 लाख करोड़ से अधिक है, जबकि बिहार में यह उद्योग लगभग न के बराबर है।

महाराष्ट्र” और “गुजरात” में “ऑटोमोबाइल” और “इलेक्ट्रॉनिक्स” जैसे उद्योगों में भारी निवेश हुआ है, जिनका बिहार में लगभग अभाव है।

## **3. निवेश आकर्षण (Investment Attractiveness):**

**बिहार:**

बिहार में “निवेश आकर्षण” कम है, इसके कई कारण हैं, जैसे “अपराध दर, “अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, और “सरकारी नीतियों का कमजोर कार्यान्वयन। हालांकि हाल के वर्षों में “बिहार सरकार ने नई उद्योग नीति 2020” और “प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना” जैसी योजनाओं के माध्यम से “निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए हैं”, लेकिन राज्य में बड़े उद्योगों का निवेश आकर्षित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

राज्य में “बुनियादी ढांचा” जैसे “सड़कें, “रेलवे नेटवर्क, और “विद्युत आपूर्ति” भी “अधूरी” हैं, जो उद्योगों की वृद्धि में बाधक बनती हैं।

**भारत:**

भारत में निवेश की स्थिति कहीं अधिक सकारात्मक है। “गुजरात, “महाराष्ट्र, “तमिलनाडु, “तेलंगाना” और “हरियाणा” जैसे राज्य उद्योगों के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बने हुए हैं। भारत की “फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI)” के आंकड़े भी सकारात्मक हैं और कई बड़े “मल्टीनेशनल कंपनियां” भारत में निवेश कर रही हैं।

भारत में “FDI inflow” 2021-22 में “\$83.57 बिलियन” रहा, जबकि बिहार में “FDI inflow” बहुत कम है और मुख्य रूप से “कृषि आधारित उद्योगों” में ही है।

गुजरात” ने 2021-22 में “\$20 बिलियन” का FDI आकर्षित किया है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 1 बिलियन डॉलर से भी कम है।

#### **4. औद्योगिक विकास की गति (Industrial Growth Rate):**

**बिहार:**

बिहार में औद्योगिक विकास की गति धीमी है। राज्य की औद्योगिक नीति और योजनाएं “कृषि आधारित उद्योगों” तक ही सीमित रही हैं। हालांकि, “स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs)” में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में इसके प्रभाव को बड़े पैमाने पर महसूस नहीं किया गया है।

इसके अलावा, “उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन” (जैसे, निवेश, सुविधाएं) के बावजूद, राज्य में “उद्योगों का सीमित विस्तार” हुआ है।

**भारत:**

भारत में औद्योगिक विकास की गति ज्यादा तेज है। “महाराष्ट्र, “गुजरात, और “तमिलनाडु” जैसे राज्यों में उद्योगों की संख्या और उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। “Make in India” जैसे अभियान के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत “स्मार्ट सिटी” और “नए औद्योगिक कॉरिडोर” के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

2021-22 में भारत की “औद्योगिक विकास दर” “9%” रही, जबकि बिहार में “औद्योगिक विकास” की दर लगभग “2%” के आसपास है।

#### **5. बुनियादी ढांचे की स्थिति (Infrastructure):**

**बिहार:**

बिहार में “बुनियादी ढांचे” का अभाव है, खासकर “सड़कें, “रेलवे नेटवर्क, और “संचार नेटवर्क” में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, “ऊर्जा संकट” भी राज्य की औद्योगिक वृद्धि में एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल ही में “सड़क निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं” पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास अभी भी धीमा है।

**भारत:**

भारत में बुनियादी ढांचा सुधार के लिए “प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, “भारतमाला परियोजना” और “उधारी गारंटी योजना” जैसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों में बेहतर “सड़क नेटवर्क, “रेल कनेक्टिविटी, और “ऊर्जा आपूर्ति” की स्थिति बेहतर हो रही है। खासकर “गुजरात” और “महाराष्ट्र” जैसे राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

बिहार का औद्योगिक परिदृश्य भारत के अन्य औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और “तमिलनाडु” के मुकाबले बहुत पीछे है। इन राज्यों में उच्च “औद्योगिकीकरण दर, बेहतर बुनियादी ढांचा, और “सुविधाजनक निवेश नीतियां” हैं। उदाहरण के लिए:

महाराष्ट्र” का GSDP 2021 में ₹32 लाख करोड़ था, जो बिहार से पांच गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र में “औद्योगिक विकास” की दर करीब 30%” है, जो बिहार की तुलना में कहीं अधिक है।

गुजरात” में औद्योगिक विकास दर करीब 27%” है और यहाँ की “औद्योगिक नीति” से राज्य में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है।

तमिलनाडु” में प्रमुख उद्योग जैसे “ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉटन मिल्स हैं, जिनकी मदद से राज्य का “GSDP” काफी ऊँचा है। तमिलनाडु में औद्योगिकीकरण दर करीब “30%” है।

बिहार में उद्योग का विकास अन्य भारतीय राज्य की तुलना में कम हुआ है। इसके प्रमुख कारण खनिज संसाधनों की कमी, सरकार की नीतियों में उद्योग क्षेत्र की प्रति केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में कमी है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के अलावा जहां दक्षिणी भारत कौशल आधारित उद्योग में आगे हैं, वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य खनिज आधारित उद्योग में वर्चस्व रखते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वस्त्र उद्योग काफी विकसित अवस्था में है जबकि हिमाचल, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड जैसे राज्य पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं।

### 5. बिहार में औद्योगिक निवेश का संभावित विकास

हालांकि बिहार में औद्योगिकीकरण की दर अभी कम है, लेकिन राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं:

- एमएसएमई” (Micro, Small and Medium Enterprises) क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के ऋण योजना और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों को मदद मिल रही है।
- बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पाद का बड़ा बाजार है, जहां औद्योगिक निवेश में वृद्धि की संभावना है।
- बिहार में लॉजिस्टिक्स और परिवहन का बुनियादी ढाँचा भी राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- पटना में ड्राई पोर्ट का विकास, नई औद्योगिक नीति, नई पर्यटन नीति और निकास नीति(exit policy) 2025 जैसे उपाय, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में मदद हो सकती है।

बिहार में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जो राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को बढ़ाती है। बिहार के कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ खनिज आधारित उद्योगों के समृद्ध होने की संभावना अधिक है:

### 1. चूना पत्थर (Limestone):

बिहार के “रोहतास, “जमुई, और “पटना” जिलों में “चूना पत्थर” के विशाल भंडार हैं। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से “सीमेंट उद्योग, “कांच उद्योग, और “निर्माण सामग्री उद्योग” में होता है। बिहार में चूना पत्थर के भंडार की प्रचुरता से यह क्षेत्र “सीमेंट उद्योग” और “निर्माण सामग्री उद्योगों” के लिए एक उपयुक्त स्थान बन सकता है।

### 2. मूलधातु (Mineral-based Metals)

बिहार में “लोहा, चूना पत्थर, और अन्य खनिजों” के अलावा कुछ अन्य खनिज जैसे “मैंगनीज, “कॉपर, और “गोल्ड” की भी उपस्थिति है। ये खनिज उद्योगों के लिए संभावनाओं को खोलते हैं, जैसे “स्मेल्टर यूनिट्स” और “धातु प्रसंस्करण उद्योग”।

### 3. बालू और गिट्टी (Sand and Gravel)

बिहार में “बालू” और “गिट्टी” (Gravel) की प्रचुरता है, जो “निर्माण उद्योग” के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। “विक्रमशिला, “बक्सर, और “सारण” जैसे क्षेत्रों में बालू खनन के बड़े अवसर हैं, जो “इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स” और “बिल्डिंग मटीरियल” उद्योग के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे हालिया प्रयास:

बिहार के लगभग सभी दक्षिणी जिले खनिज संपदा के मामले में समृद्ध हैं जिसमें रोहतास, जमुई कैमूर गया, नवादा, बांका, भागलपुर जिले जैसे आते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार जमुई जिले में गोल्ड रिजर्व पाये गये हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार के लगभग सभी दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम जिले खनिज आधारित उद्योग के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बिहार सरकार ने राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए कई योजनाएं और पहलें शुरू की हैं, ताकि “खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग” किया जा सके और “निवेश को आकर्षित किया जा सके।

### **1. बिहार खनिज नीति 2017 (Bihar Minerals Policy 2017)**

बिहार सरकार ने 2017 में “खनिज नीति 2017” को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य राज्य के खनिज संसाधनों का “सतत और जिम्मेदार तरीके से दोहन” करना था। इसके अंतर्गत:

- खनिजों के लिए “सुविधाजनक लाइसेंसिंग प्रक्रिया” स्थापित की गई है।
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए “कर छूट और वित्तीय प्रोत्साहन” दिए जा रहे हैं।
- राज्य में खनिज आधारित “औद्योगिकीकरण को बढ़ावा” देने के लिए कड़ी पहल की जा रही है।

### **2. खनिज खोज और विकास परियोजनाएं**

राज्य सरकार “खनिज खोज और विकास परियोजनाओं” में तेजी ला रही है, ताकि खनिज संसाधनों का और अधिक उपयोग किया जा सके। इसके तहत विशेष रूप से “कोयला” और “लोहा” जैसे खनिजों की खोज के लिए और अधिक “निवेश और तकनीकी मदद” उपलब्ध कराई जा रही है।

- कोल इंडिया और अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करके खनन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- बिहार के “झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स” में नए खनन अनुबंधों को बढ़ावा दिया गया है।

### **3. खनिज आधारित उद्योगों के लिए विशेष निवेश नीति**

राज्य सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक विशेष निवेश नीति बनाई है, जिससे राज्य में “नए उद्योगों के लिए आकर्षक वातावरण” तैयार किया जा सके। इस नीति के तहत:

- खनिज उद्योगों के लिए “कृषि आधारित उद्योगों” के समान “प्रोत्साहन और समर्थन” प्रदान किया जा रहा है।
- निवेशकों को “नकद पुरस्कार, “भूमि की सस्ती उपलब्धता” और “कर छूट” जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

### **4. खनिज संसाधनों का पर्यावरणीय रूप से सही उपयोग**

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खनिजों का दोहन “पर्यावरणीय मानकों” के तहत किया जाए। “सतत विकास” और “पर्यावरण संरक्षण” को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियों के लिए “अनुपालन आवश्यकताएं” लागू की गई हैं।

### **5. राज्य में बुनियादी ढांचे का सुधार**

खनिज आधारित उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा “सड़क नेटवर्क, “पानी आपूर्ति” और “ऊर्जा आपूर्ति” पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में “राजमार्गों” और “रेल कनेक्टिविटी” को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।

बिहार में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

### **6. जिला स्तर पर खनिज आधारित उद्योगों का विकास**

राज्य सरकार ने “स्थानीय रोजगार” और “स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग” सुनिश्चित करने के लिए “जिला स्तर” पर खनिज आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है। खासकर “रोहतास,” “जमुई,” “गया” और “भागलपुर” जैसे जिलों में खनिज आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में इथेनॉल निर्माण काफी प्रगति पर है और यह न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि पर्यावरण दृष्टि से भी लाभप्रद होगा इसके अलावा यह नए उद्योग और रोजगार के द्वार खोलेगा।

### 3. केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास

- आत्मनिर्भर भारत अभियान और “बिहार निवेश नीति 2020” जैसी योजनाओं के तहत बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए “निवेश” आकर्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार “प्रमुख निवेशकों” को प्रोत्साहन दे रही है और उद्योगों के लिए “कर छूट” और “वित्तीय मदद” प्रदान कर रही है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत बिहार में छोटे उद्योगों और “उधार लेने वाले उद्यमियों” को “सस्ती ऋण सुविधा” उपलब्ध कराई जा रही है। इससे “स्मॉल और मीडियम व्यवसायों” को फायदा हो रहा है।
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सुधार के लिए बिहार सरकार ने “कृषि प्रौद्योगिकी और विपणन” पर ध्यान दिया है और कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना” का लाभ लिया जा रहा है।

बिहार के उद्योगों की स्थिति “भारत के औद्योगिक परिदृश्य” से बहुत पीछे है। जबकि भारत के अन्य राज्यों में औद्योगिकीकरण, निवेश आकर्षण, औद्योगिक विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के मामले में तेजी से विकास हो रहा है, बिहार को इन सभी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बिहार में खनिज आधारित उद्योगों के समृद्ध होने की संभावना उच्च है, खासकर “कोयला,” “लोहा,” “चूना पत्थर,” और “बालू” जैसे खनिजों के माध्यम से। राज्य सरकार की “खनिज नीति,” “निवेश आकर्षण योजनाएं,” और “खनिज उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन” की योजनाएं राज्य को एक औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि इन नीतियों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाता है, तो बिहार में खनिज आधारित उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर हो सकता है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

### 4.a बिहार में ई-गवर्नेंस लागू करने के समक्ष चुनौतियाँ Challenges in Implementing E-Governance in Bihar

ई-गवर्नेंस (e-Governance) शासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिहार सरकार भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। हालाँकि, इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

बिहार में ई-गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियाँ:

#### 1. डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure) की कमी

- बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है।
- अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा उपायों का अभाव है।

#### 2. डिजिटल साक्षरता की कमी

- ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी डिजिटल सेवाओं से अनभिज्ञ है।
- सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तकनीकों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता।

#### 3. प्रशासनिक जटिलताएँ और समन्वय की कमी

- नौकरशाही में धीमे बदलाव के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है।

- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी से ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में बाधाएँ आती हैं।

#### **4. साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन की समस्या-**

सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों पर साइबर हमलों का खतरा बना रहता है।

डेटा लीक और गोपनीयता से संबंधित सुरक्षा उपायों की कमी है।

#### **5. नागरिक जागरूकता की कमी**

कई लोग ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभों से अवगत नहीं हैं और पारंपरिक तरीकों को ही अपनाते हैं।

डिजिटलीकरण के बावजूद लोग भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं।

बिहार सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रयास:

"बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011" – इस कानून के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

"बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN)" – इस परियोजना के तहत राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है।

"ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना" – इसमें नागरिकों को डिजिटल माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र आदि प्रदान किए जा रहे हैं।

"RTPS (Right to Public Service) पोर्टल" – इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

"Bihar e-Governance Services & Applications (BeGSA)" – यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार में CSC (Common Service Centers) की स्थापना" – गाँवों में डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कई CSC केंद्र खोले गए हैं।

"ई-कोर्ट परियोजना" – न्यायपालिका को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए बिहार में ई-कोर्ट प्रणाली को लागू किया गया है।

"डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (Bihar Bhumi)" – ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है ताकि नागरिक पारदर्शी रूप से अपने दस्तावेज़ देख सकें।

"सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline 1076)" – यह पोर्टल नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मदद करता है।

- "बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना" – शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।
- "ई-शिकायत प्रणाली" – ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है ताकि नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

#### **समाधान एवं सुझाव:**

- डिजिटल अवसंरचना में सुधार – हाई-स्पीड इंटरनेट और डेटा सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए।
- डिजिटल साक्षरता अभियान – आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।
- प्रशासनिक सुधार – सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएँ।
- साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना – डेटा चोरी और साइबर हमलों से बचाव के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय अपनाए जाएँ।
- ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रति जागरूकता – नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए।

**निष्कर्ष:**

बिहार सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता आई है। हालाँकि, अभी भी बुनियादी ढांचे, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उचित नीतियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिससे बिहार में ई-गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

**b. भारतीय राजनीति में भाषायी विविधता का महत्व The Importance of Linguistic Diversity in Indian Politics**

भारत एक “भाषायी रूप से विविध देश” है, जहाँ “संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ” शामिल हैं, और विभिन्न राज्यों में “सैकड़ों बोलियाँ और भाषाएँ” बोली जाती हैं। भाषायी विविधता “राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक समावेशिता” का प्रतीक है। भारतीय राजनीति में भाषा एक “चुनावी मुद्दा, प्रशासनिक माध्यम और पहचान की अभिव्यक्ति” के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**संवैधानिक प्रावधान:**

- अनुच्छेद 343: हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता।
- अनुच्छेद 29 और 30: भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 350A: राज्यों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान।

हाल के वर्षों में “नई शिक्षा नीति 2020”, क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय प्रणाली और प्रशासनिक सुधारों ने भाषायी विविधता को लेकर नए विमर्श खड़े किए हैं।

**1. भारतीय राजनीति में भाषायी विविधता का महत्व**

(क) लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और चुनावी राजनीति

- भारत में “वोटर जागरूकता और चुनाव प्रचार” क्षेत्रीय भाषाओं में होता है, जिससे विभिन्न वर्गों तक राजनीतिक संदेश पहुँचाना आसान हो जाता है।

**“उदाहरण:”**

- द्रविड़ मुनेल कषगम (DMK) और अन्ना द्रविड़ मुनेल कषगम (AIADMK) ने तमिल पहचान को मजबूत कर “राजनीतिक सफलता हासिल की।”
- महाराष्ट्र में शिवसेना ने मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे को अपनी राजनीति का आधार बनाया।

(ख) संघीय ढांचे और राज्य पुनर्गठन

- भाषायी विविधता ने “संघीय ढांचे” को मजबूत किया और राज्यों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने में मदद की।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत “आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों” का गठन भाषायी आधार पर किया गया।
- इससे “क्षेत्रीय असंतोष कम हुआ” और लोकतंत्र अधिक समावेशी बना।

(ग) राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता

- भारत की “बहुभाषी संस्कृति” ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायता की है।
- संवैधानिक प्रावधानों ने भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है”, जिससे विभिन्न भाषायी समुदायों में संतुलन बना रहा।

उदाहरण: ““एक भारत, श्रेष्ठ भारत” योजना” क्षेत्रीय भाषाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।

(घ) न्यायपालिका और प्रशासन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका”

- 2023 में “सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की पहल ” की गई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020” ने “मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा” को अनिवार्य करने की सिफारिश की, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी बना।

## 2. भारतीय राजनीति में भाषायी विविधता से उत्पन्न चुनौतियाँ

(क) हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाएँ विवाद

- हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयासों के विरोध में दक्षिण भारत में आंदोलन हुए। ”
- उदाहरण: “1965 का तमिलनाडु विरोध आंदोलन”, जब हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के प्रयास किए गए थे।

(ख) भाषायी अस्मिता और क्षेत्रीय राजनीति भाषायी अस्मिता कई बार संकीर्ण क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है।

“उदाहरण:

“मराठी मानूस” आंदोलन (शिवसेना) ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ भाषायी पहचान को उभारा।

बोडोलैंड आंदोलन” (असम) और “गोरखालैंड आंदोलन” (पश्चिम बंगाल) भी भाषायी अस्मिता से जुड़े रहे हैं।

डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भाषायी असमानता”

- अधिकांश सरकारी और तकनीकी प्लेटफॉर्म अंग्रेजी-प्रधान हैं”, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने वालों के लिए बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- हालांकि, सरकार “डिजिटल इंडिया भाषा पोर्टल” और AI आधारित अनुवाद टूल्स को बढ़ावा दे रही है।”

## 3. भाषायी विविधता को संतुलित करने हेतु सरकार की पहल

- नई शिक्षा नीति 2020 और मातृभाषा में शिक्षा”
- NEP 2020” ने पहली बार “मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश” की, जिससे शिक्षा में समावेशिता बढ़ेगी।
- सरकारी परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्णय ” भी लिया गया।

(ख) ई-गवर्नेंस और बहुभाषी तकनीकी नवाचार

- “भारतनेट योजना” और “ई-कोर्ट्स मिशन” “क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।
- AI और मशीन लर्निंग आधारित भाषा अनुवाद टूल्स” का विकास किया जा रहा है।

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक सुधार

- 2023 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्णय ” लिया गया।
- इससे “सामान्य नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

## 4. भविष्य की दिशा: भाषायी विविधता को सशक्त बनाने के सुझाव

(क) प्रशासनिक सुधार और भाषायी संतुलन

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और अन्य सरकारी परीक्षाओं में अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाए।
- ई-गवर्नेंस को बहुभाषी बनाया जाए।

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना

- तकनीकी और उच्च शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की दिशा में कार्य किया जाए।
- सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं की दक्षता को महत्व दिया जाए।

(ग) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना

- AI आधारित बहुभाषी अनुवाद टूल्स विकसित किए जाएँ।
- डिजिटल इंडिया के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

**निष्कर्ष:**

भारतीय राजनीति में भाषायी विविधता “लोकतंत्र की मजबूती, संघीय संरचना की स्थिरता और सामाजिक समरसता” का प्रतीक है। हालांकि, “भाषायी असमानता, प्रशासनिक चुनौतियाँ और राजनीतिक विवाद” एक संतुलित नीति की आवश्यकता को दर्शाते हैं। सरकार को “शिक्षा, न्यायपालिका और डिजिटल माध्यमों में भाषायी समावेशिता को बढ़ावा देने” के प्रयास करने चाहिए। “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को सशक्त करने के लिए “भाषायी विविधता को अवसर के रूप में अपनाने की जरूरत है, न कि विभाजन के रूप में।

### **c. जाति आधारित आरक्षण की प्रासंगिकता The Relevance of Caste-Based Reservation**

जाति-आधारित आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय और समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति रही है। यह नीति ऐतिहासिक रूप से शोषित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, समय के साथ इस पर न्यायपालिका, सरकारी समितियों और विशेषज्ञ समूहों ने कई बार पुनर्विचार किया है। वर्तमान में, जाति-आधारित आरक्षण से जुड़े विधायी, न्यायिक और नीतिगत मुद्दे चर्चा में हैं।

#### **1. जाति-आधारित आरक्षण की प्रासंगिकता**

(क) ऐतिहासिक अन्याय और संवैधानिक आधार

- इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
- एससी/एसटी एक्ट और अन्य नीतियों के माध्यम से वंचित समुदायों को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है।

(ख) हालिया कानूनी निर्णय और न्यायिक हस्तक्षेप

- 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (SEBC) को रद्द कर दिया और कहा कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
- 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण को सही ठहराया, जिससे यह बहस और तेज हुई कि क्या जाति-आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- मंडल आयोग (1980) और न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग (2017) ने OBC श्रेणी में समान प्रतिनिधित्व के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

(ग) जाति-आधारित असमानता के हाल के आंकड़े

- पेगासस रिपोर्ट (2023) के अनुसार, सरकारी नौकरियों में SC/ST/OBC वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफैम (2022) की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जाति-आधारित आय असमानता अभी भी बनी हुई है।
- नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अभी भी सीमित है।

(घ) राजनीतिक सशक्तिकरण और आरक्षण

- महिला आरक्षण विधेयक (2023) में OBC और SC/ST के लिए कोटा नहीं दिया गया, जिससे यह बहस शुरू हुई कि जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए या नहीं।
- वर्तमान में SC/ST के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है।

## 2. जाति-आधारित आरक्षण की चुनौतियाँ

(क) जाति के स्थान पर आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की बहस

- सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को वैध करार दिया, जिससे यह तर्क मजबूत हुआ कि सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार होना चाहिए।
- न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग (2017) की रिपोर्ट में भी OBC आरक्षण को और समानुपातिक तरीके से विभाजित करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) क्रीमी लेयर और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ न पहुंचने की समस्या

- OBC के लिए 8 लाख रुपये की क्रीमी लेयर सीमा तय की गई है, लेकिन SC/ST वर्ग में यह लागू नहीं है।
- NITI Aayog और अन्य संगठनों ने सुझाव दिया कि SC/ST के अंदर भी वर्गीकरण की जरूरत है, ताकि सबसे कमजोर वर्गों को अधिक लाभ मिल सके।
- (ग) जातिगत जनगणना की मांग और आंकड़ों की कमी
- 2024 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, जिससे यह मांग बढ़ गई कि केंद्र सरकार भी ऐसी जनगणना करे।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

## 3. जाति-आधारित आरक्षण का भविष्य: समाधान और सुधार

(क) आरक्षण की समय-सीमा और पुनरीक्षण

- सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आरक्षण को स्थायी समाधान नहीं बनाया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग (2017) की रिपोर्ट में OBC वर्ग के भीतर समान वितरण के लिए सुधारों की सिफारिश की गई।

(ख) शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

- NEP 2020 (नई शिक्षा नीति) के तहत वंचित वर्गों के लिए शिक्षा में समावेशी सुधारों की सिफारिश की गई है।

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और अन्य योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

(ग) जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार

- ऑक्सफैम रिपोर्ट (2022) के अनुसार, आज भी कार्यस्थलों और शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव मौजूद है।
- सरकारी नीतियों और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

#### निष्कर्ष:

जाति-आधारित आरक्षण अभी भी भारत में सामाजिक न्याय, समान अवसर और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का एक प्रभावी साधन है। हालांकि, वर्तमान संदर्भ में आर्थिक आधार को भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल करने, क्रीमी लेयर की समीक्षा करने और शिक्षा-कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न आयोगों ने बार-बार कहा है कि आरक्षण स्थायी समाधान नहीं, बल्कि एक अस्थायी सहारा होना चाहिए। अतः सामाजिक और आर्थिक सुधारों के साथ-साथ आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है, ताकि यह वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे और समाज को समावेशी बनाया जा सके।

#### d. स्वयं सहायता समूहों ने भारत में गरीबी को कम करने में किस सीमा तक सफलता दिलाई है ?

#### To what extent have Self Help Groups (SHGs) been successful in reducing poverty in India?

भारत में गरीबी एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौती रही है। इसे कम करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ चलाई, जिनमें स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) एक प्रभावी माध्यम साबित हुए हैं। SHGs विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से लोग अपनी आय बढ़ाने, स्वरोजगार अपनाने और आर्थिक सुरक्षा हासिल करने में सक्षम हुए हैं।

#### स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की गरीबी उन्मूलन में भूमिका

##### 1. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

- SHGs ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ते हैं, जिससे उन्हें आसान ऋण और बचत की सुविधा मिलती है।
- NABARD के अनुसार, 2022-23 तक 1.2 करोड़ से अधिक SHGs बैंकों से जुड़े थे, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ थीं।
- SHG-Bank Linkage Programme (SBLP) के तहत बैंकों द्वारा SHGs को ऋण दिया जाता है, जिससे वे आय अर्जित करने के लिए छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

##### 2. महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन

- SHGs ने ग्राम स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।
- 2023 तक 9 करोड़ से अधिक महिलाएँ SHGs से जुड़ी थीं, जिनमें से कई महिलाएँ स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनीं।
- महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन, सिलाई, हैंडलूम, कृषि प्रसंस्करण, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन आदि क्षेत्रों में कार्य शुरू किए हैं।

##### 3. ऋण उपलब्धता और साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति

- SHGs ब्याज-मुक्त या कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे गरीबों को साहूकारों के चंगुल से बचने में मदद मिलती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में SHGs के माध्यम से 2023 तक ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया।

#### 4. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

- कई SHGs कृषि से जुड़ी गतिविधियों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत SHGs किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और बाजार तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं।

#### 5. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार

- कई SHGs साफ-सफाई, पोषण, टीकाकरण और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, बिहार और झारखंड के SHGs ने सैनेटरी नैपकिन निर्माण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी।

#### 6. सामाजिक बदलाव और सामुदायिक विकास

- SHGs ने सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, शराबबंदी, जातीय भेदभाव आदि के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज़ उठाई है।
- उदाहरण के लिए, बिहार और तमिलनाडु के कई SHGs ने शराबबंदी के लिए प्रभावी अभियान चलाए।
- SHGs की सफलता को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य:
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया।
- SHGs के माध्यम से 54% से अधिक ग्रामीण महिलाएँ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ीं।
- ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए SHGs ने कृषि, हस्तशिल्प, डेयरी, मत्स्य पालन और खुदरा व्यापार में योगदान दिया।
- SHGs के कारण ग्रामीण महिलाओं की आय औसतन 30-40% तक बढ़ी, जिससे गरीबी कम हुई।

#### चुनौतियाँ और सुधार के उपाय:

##### चुनौतियाँ:

- SHGs को मिलने वाले ऋण की प्रक्रिया अभी भी जटिल है।
- विपणन और ब्रांडिंग की कमी से उत्पादों को सही बाजार नहीं मिल पाता।
- कई SHGs को डिजिटल लेन-देन और तकनीकी ज्ञान की कमी है।

##### सुधार के उपाय:

- SHGs को और अधिक बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
- E-commerce और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर SHGs के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाए।
- उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए जाएँ।

##### निष्कर्ष:

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने भारत में गरीबी कम करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे NRLM, SBLP और विभिन्न राज्य-स्तरीय योजनाओं के माध्यम से SHGs को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन सही नीतियों और समर्थन से SHGs भारत को गरीबी मुक्त बनाने में और अधिक प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

**e. रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष। The positive and negative aspects of full convertibility of the rupees.**

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता (Full Convertibility of Rupee) का अर्थ है कि भारतीय मुद्रा को “बिना किसी सरकारी या नियामक हस्तक्षेप के विदेशी मुद्राओं में बदला जा सकता है, चाहे वह किराया, पूँजी निवेश, व्यापार, सेवाओं या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण” के लिए हो। वर्तमान में, भारत में “चालू खाता (Current Account) पूरी तरह परिवर्तनीय” है, लेकिन “पूँजी खाता (Capital Account) अभी भी आंशिक रूप से परिवर्तनीय” है।

**रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रकार”**

1. चालू खाता परिवर्तनीयता (Current Account Convertibility)– व्यापार, सेवाओं, यात्रा, और प्रेषण के लिए “पूर्ण रूप से लागू (1994 से)।

2. पूँजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility)– विदेशी निवेश, संपत्तियों की खरीद-बिक्री और वित्तीय लेन-देन के लिए अभी आंशिक रूप से लागू।

**रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की पृष्ठभूमि**

- 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने विदेशी मुद्रा नियंत्रण को धीरे-धीरे हटाना शुरू किया।
- 1994 में IMF अनुच्छेद VIII को अपनाकर चालू खाता पूरी तरह परिवर्तनीय बना।
- 2006 में RBI की तरापोर समिति (Tarapore Committee) ने पूँजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी।
- हाल ही में, सरकार और RBI “डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक निवेश को देखते हुए पूर्ण परिवर्तनीयता के लाभों पर विचार कर रहे हैं।”

**रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के सकारात्मक पक्ष**

**(क) विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा”**

- “निवेशकों के लिए आकर्षक: विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजारों में “आसानी से प्रवेश और विकास की सुविधा” मिलेगी।
- आर्थिक विकास को गति:” विदेशी पूँजी प्रवाह बढ़ने से “इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और उद्योगों” को लाभ होगा।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि:” निर्यातकों और आयातकों को लेन-देन में सुविधा मिलेगी, जिससे “व्यापार घाटा कम हो सकता है”।

**(ख) भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी**

- रुपये को ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिलने की संभावना” बढ़ेगी, जिससे भारत “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अधिक प्रभावी” होगा।
- डॉलर पर निर्भरता कम होगी”, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की चिंता कम होगी।

**(ग) मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता”**

- रुपये की “बाजार-आधारित विनिमय दर” होने से यह “आर्थिक विकास और वैश्विक कारकों के साथ स्वतः समायोजित” होगा।
- ब्याज दर और मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा।

**(घ) घरेलू वित्तीय बाजारों का आधुनिकीकरण”**

- विदेशी पूँजी प्रवाह से “बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों” का विकास होगा।
- निवेशकों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे “शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में गहराई” बढ़ेगी।

**रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के नकारात्मक पक्ष**

(क) मुद्रा स्फीति और आर्थिक अस्थिरता”

- “पूंजी के मुक्त प्रवाह से अचानक बड़े वित्तीय झटके (Financial Shocks) लग सकते हैं, जिससे रुपये का मूल्य “तेजी से गिर सकता है”।
- “मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ सकती है”, क्योंकि विदेशी पूंजी तेजी से आकर अचानक बाहर जा सकती है।

(ख) रुपये की अस्थिरता और सट्टेबाजी का खतरा”

- यदि रुपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया जाता है, तो “मुद्रा बाजार में सट्टेबाजों (Speculators) और हेज फंड्स का प्रभाव” बढ़ सकता है।
- “1997 का एशियाई वित्तीय संकट (Asian Financial Crisis)” इस बात का उदाहरण है कि कैसे पूंजी खाता परिवर्तनीयता से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है।

(ग) बाहरी आर्थिक झटकों से अधिक जोखिम

- यदि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता होती है, तो विदेशी निवेशक “जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, जिससे भारत में “ब्याज दरों और विनिमय दरों में अस्थिरता” आ सकती है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के दौरान” कई देशों ने अपनी मुद्रा स्थिर रखने के लिए सख्त नियंत्रण अपनाया।

(घ) बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर दबाव”

- “यदि विदेशी बैंक भारतीय बैंकों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ देते हैं”, तो भारतीय वित्तीय प्रणाली कमजोर हो सकती है।
- भारतीय कंपनियाँ “विदेशों में अधिक उधारी लेने लगेंगी, जिससे “घरेलू बैंकों की भूमिका घट सकती है।”

भारत के लिए उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए?

(क) धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से परिवर्तन”

- RBI और सरकार को “पूंजी खाता परिवर्तनीयता को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए”।
- सबसे पहले “FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और ODI (भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश) को बढ़ावा देना चाहिए”।
- बाद में धीरे-धीरे “बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों को पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर बढ़ाया जा सकता है।

(ख) मजबूत वित्तीय प्रणाली और विनियमन”

- भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को “वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की जरूरत” है।
- RBI को सट्टेबाजी और अस्थिर पूंजी प्रवाह को रोकने के लिए उचित नीतियाँ अपनानी चाहिए।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाना

- भारत को “कम से कम 700-800 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना चाहिए”, ताकि अचानक पूंजी प्रवाह से निपटा जा सके।

(घ) डिजिटल करेंसी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार

- CBDC (Central Bank Digital Currency) रूपी डिजिटल रुपये” को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने से “डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है”।

निष्कर्ष:

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता “भारत के आर्थिक विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसे “अत्यधिक सावधानी और चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। भारत को ““पहले अपनी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना होगा और वित्तीय विनियमन को प्रभावी बनाना होगा। यदि यह सही रणनीति के तहत लागू किया जाए, तो भारत ““वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है और रुपये को एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना सकता है”।

**5.a पिछले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकसित हो रही है। इस विकास में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें। जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम समृद्धि देखी गई है, उनके समृद्धि के लिए उठाये गये सरकारी कदमों की चर्चा कीजिए।**

**In the last decade, Bihar's economy has been developing at a rapid pace. Identify the key sectors contributing to this growth. Discuss the government measures taken to promote the prosperity of sectors that have seen relatively less development.**

पिछले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हुई है, जो कई सकारात्मक संकेतों का प्रमाण है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास की गति तेज़ी से बढ़ी है।

### **1. राज्य की विकास दर”:**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)”:

- बिहार की विकास दर पिछले एक दशक में देश के औसत से कहीं अधिक रही है। 2010-11 से 2020-21 के बीच, बिहार का GSDP” की वृद्धि दर 10.5% रही है, जबकि भारत का औसत विकास दर 5.8% था।
- बिहार की कुल जीडीपी 2019-20 में लगभग ₹5.7 लाख करोड़ (लगभग 80 बिलियन डॉलर) थी, जो 2010-11 में ₹1.7 लाख करोड़ से तीन गुना अधिक थी। वर्तमान में 9 लाख करोड़ से ज्यादा है।

### **2. कृषि क्षेत्र में वृद्धि”:**

- बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और पिछले दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- धान” और गेहूँ” जैसे प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। - “मक्का” का उत्पादन भी बढ़ा है, जो अब बिहार में एक प्रमुख कृषि उत्पाद बन चुका है।
- सिंचाई” सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 2010 में जहां राज्य की “सिंचित भूमि 40% थी, वहीं 2020 में यह बढ़कर 60%” हो गई।
- इसके अतिरिक्त, “बिहार कृषि विपणन निगम (BAMC) ने किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे कृषि उत्पादों की कीमतें भी बेहतर हुईं।

### **3. बुनियादी ढांचे में सुधार”:**

सड़क निर्माण”:

- पिछले एक दशक में बिहार में “राष्ट्रीय उच्चमार्गों” और “राज्य मार्गों” के निर्माण में बड़ा सुधार हुआ है। 2010 में बिहार में केवल “2,300 किलोमीटर” राष्ट्रीय उच्चमार्ग था, जो 2020 में बढ़कर “6000 किलोमीटर” हो गया।
- पटना-गया-हाजीपुर” और “पटना-राजगीर” जैसे प्रमुख सड़कों का विस्तारीकरण हुआ है, जिससे परिवहन लागत में कमी आई है और राज्य के ग्रामीण इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है।

**रेल कनेक्टिविटी:**

- बिहार में “रेलवे कनेक्टिविटी” में भी सुधार हुआ है। 2010-20 के बीच “रेलवे नेटवर्क” में “20%” की वृद्धि हुई है। नए “रेलवे स्टेशन” और “रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम” (RRTS) जैसी परियोजनाएं चल रही हैं।

**हवाई यातायात”:**

- गया” और “पटना” में नए हवाई अड्डे बने हैं, जिससे “राज्य की कनेक्टिविटी” में वृद्धि हुई है। 2019 में बिहार में 40 लाख यात्री” हवाई यातायात करते थे, जो 2015 में केवल 12 लाख थे।

**4. औद्योगिकीकरण में वृद्धि”:**

**औद्योगिक पार्क और SEZ”:**

- बिहार में औद्योगिक पार्कों और “विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का निर्माण तेजी से हुआ है। बिहार के “भागलपुर, पूर्णिया, और पटना” में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों” द्वारा निवेश किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, “खाद्य प्रसंस्करण” और “पेट्रोलियम उत्पादों” के उद्योगों में भी वृद्धि हुई है। बिहार में “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग” का उत्पादन लगभग ₹3,000 करोड़ के आसपास है, और यहां से निर्यात भी बढ़ा है।

**5. शिक्षा और मानव संसाधन”:**

**शिक्षा क्षेत्र में सुधार:**

- राज्य सरकार ने “शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार” किए हैं। 2011 में बिहार में केवल “1,000” सरकारी विद्यालय थे, जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर “2,500” हो गई।
- बिहार में “तकनीकी शिक्षा” और “उद्यमिता” को बढ़ावा देने के लिए कई “कौशल विकास योजनाएं” शुरू की गई हैं।
- सुपौल, सहरसा, और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में नए विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की गई है।

**6. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:**

- बिहार में “स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है।
- राज्य सरकार ने “सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं” को बेहतर बनाने के लिए “अस्पतालों” और “स्वास्थ्य केंद्रों” की संख्या बढ़ाई है।
- टीकाकरण अभियान” और “पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों के कारण, कुपोषण दर” में कमी आई है, और “मातृ और शिशु मृत्यु दर” में सुधार हुआ है।
- राज्य में स्वास्थ्य बजट” 2015 से 3 गुना बढ़कर ₹8,000 करोड़ हो गया है।

**7. सामाजिक कल्याण योजनाएँ”:**

- मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनाएँ” और “किसान सम्मान निधि” जैसी योजनाओं ने राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। राज्य में “स्वयं सहायता समूह (SHG)” के तहत महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है और “स्वरोजगार” के अवसर पैदा हुए हैं।

**8. रोजगार सृजन”:**

- स्वरोजगार” और “नौकरी” के अवसरों में वृद्धि हुई है। 2011-2021 के दौरान “कृषि, निर्माण, और सेवाएं” जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ।

- “बिहार ग्रामीण विकास योजना” के तहत, 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है।

हालांकि पिछले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास के कई संकेत मिले हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। इन क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण राज्य की समग्र विकास दर में कुछ बाधाएं बनी रहती हैं।

### 1. उद्योग और औद्योगिकीकरण”:

विकास में कमी:

- बिहार में “औद्योगिकीकरण” का स्तर अपेक्षाकृत कम है। राज्य में बड़े औद्योगिक निवेश की कमी और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव उद्योगों के विकास में बाधक रहे हैं।
- “औद्योगिक पार्क, “विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)” और छोटे उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है।
- बिहार में “वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, और भारी उद्योग” जैसे क्षेत्रों में निवेश की कमी बनी रही है।

“सरकार के प्रयास”:

- “बिहार औद्योगिक निवेश नीति” 2016 के तहत सरकार ने “औद्योगिक पार्कों, “खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों” और “विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)” की स्थापना के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।
- “बिहार निवेश सम्मेलन” जैसे आयोजनों के माध्यम से राज्य सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की है।
- “स्वदेशी और विदेशी कंपनियों को बिहार में निवेश” करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति, कर छूट, और अन्य सुविधाओं की पेशकश की है।

### 2. बेरोजगारी और स्वरोजगार”:

विकास में कमी”:

- बिहार में “बेरोजगारी” दर उच्च है और “स्वरोजगार” के अवसर भी सीमित हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए।
- कृषि क्षेत्र, जो राज्य की प्रमुख रोजगार का स्रोत है, वह भी “नौकरी सृजन” में पर्याप्त योगदान नहीं कर पा रहा है।

सरकार के प्रयास:

- मुख्यमंत्री रोजगार योजना” और “महतरा रोजगार योजना” जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
- कौशल विकास” के लिए राज्य सरकार ने “बिहार कौशल विकास मिशन (Bihar Skill Development Mission)” की शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- बिहार रोजगार बोर्ड” और “स्वयं सहायता समूह (SHGs)” के माध्यम से ग्रामीण और शहरी युवाओं को छोटे उद्योगों और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

### 3. स्वास्थ्य सेवा:

विकास में कमी:

- बिहार में “स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी कमजोर हैं। विशेष रूप से “ग्रामीण क्षेत्रों” में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त पहुंच नहीं है।

- राज्य के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण “मातृ और शिशु मृत्यु दर” और “कुपोषण दर” जैसी समस्याएं अधिक बनी रहती हैं।

सरकार के प्रयास:

- राज्य सरकार ने “स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे” में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें “अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, “नवीन चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, और “स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण” शामिल है।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” और “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)” के तहत गरीब और निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- आयुष्मान भारत योजना” और “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” के तहत राज्य में “टीकाकरण अभियान” और “मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं” का विस्तार किया गया है।

#### 4. शिक्षा और कौशल विकास:

विकास में कमी:

- बिहार में “शिक्षा का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा” और तकनीकी शिक्षा” में सुधार की आवश्यकता है।
- प्राइवेट स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कम है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता ” बनी हुई है।

सरकार के प्रयास:

- राज्य सरकार ने “बिहार शिक्षा योजना” के तहत राज्य में नई पाठ्यक्रम और “प्रशिक्षण कार्यक्रम” शुरू किए हैं।
- मुख्यमंत्री शिक्षा योजना” के अंतर्गत मुफ्त स्कूल ड्रेस, किताबें, और “शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है।
- बिहार राज्य कौशल विकास मिशन” के तहत “व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण” कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त हो सके।

#### 5. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन”:

विकास में कमी”:

- बिहार में “पर्यावरणीय समस्या, खासकर “जल संकट, वायु प्रदूषण” और “नदी प्रदूषण” गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- भूजल स्तर” में गिरावट, विशेष रूप से “पानी की भारी खपत” और “प्राकृतिक संसाधनों” की अति उपयोगिता ने राज्य में जल संकट को बढ़ाया है।

सरकार के प्रयास:

- मुख्यमंत्री जल जीवन योजना” के तहत राज्य सरकार ने जल संरक्षण और “सिंचाई के आधुनिक तरीके” अपनाने पर जोर दिया है।
- नदी पुनर्निर्माण योजना” और “वृक्षारोपण अभियान” के माध्यम से सरकार ने पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए कार्य शुरू किया है।
- जल संचयन” और “वर्षा जल संचयन” के उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

निष्कर्ष:

पिछले एक दशक में बिहार ने कई क्षेत्रों में विकास हासिल किया है, पिछले एक दशक में बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, जिसका प्रमुख कारण राज्य में कृषि, औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार है। बिहार अब न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित कर रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे औद्योगिकीकरण, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पर्यावरणीय सुधारों में अब भी

सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। यदि इन क्षेत्रों में सुधार की गति तेज़ की जाए, तो बिहार की समग्र आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार हो सकता है, और राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है।

**b. हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इसने कृषि क्षेत्र में कई सारी विषमताएं**

**पैदा कर दी, साथ ही इसके कई दूरगामी प्रभाव हुए, जो वर्तमान समय में परिलक्षित हो रहे हैं। कथन की समीक्षा कीजिए।**

**The Green Revolution made India self-sufficient in food grains. However, it created several inequalities in the agricultural sector and had several long-term effects, which are now reflected in the present times. Review this statement.**

हरित क्रांति का भारत में आगमन 1960 के दशक में हुआ था, जब भारतीय कृषि के क्षेत्र में उच्च उपज वाली किस्मों (HYVs) के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया। इसने कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना।

**सकारात्मक पहलू:**

**1. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि:**

- “गेहूँ”: हरित क्रांति के समय 1960-61 में भारत का गेहूँ उत्पादन 11 मिलियन टन था, जो 2019-20 में बढ़कर 107 मिलियन टन हो गया। गेहूँ की उपज में यह वृद्धि 10 गुना से अधिक रही।
- “चावल”: भारत में चावल उत्पादन भी हरित क्रांति के बाद तेजी से बढ़ा। 1960 में भारत का चावल उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन था, जो 2019-20 में बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया।
- इसके परिणामस्वरूप, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, और 1970 के दशक तक भारत ने खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भरता कम कर दी।
- हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, भारत ने गेहूँ, चावल और अन्य अनाजों के उत्पादन में भारी वृद्धि की। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ने भारत को भुखमरी और खाद्यान्न संकट से उबारने में मदद की।

**2. आर्थिक समृद्धि:**

- हरित क्रांति के दौरान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, पंजाब में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 1960 के दशक में लगभग 900 किलोग्राम से बढ़कर 2010 के दशक में 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।
- इसके कारण, कृषि में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। 1970-80 के दशक में, हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान आय में 3 से 4 गुना वृद्धि देखी गई, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्रामीण इलाकों में आय का स्तर बढ़ा, जिससे कृषि-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ। किसानों की जीवन-यात्रा में सुधार हुआ, और देश की खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई।

**3. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा:**

हरित क्रांति ने भारत को गेहूँ और चावल के वैश्विक निर्यातक देशों में शामिल किया। 2000 के बाद, भारत ने विश्व में चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उदाहरण के लिए, भारत ने 2019-20 में 12.7 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जो विश्व चावल निर्यात का लगभग 25% था। इसके अलावा, भारत ने 1970 में खाद्यान्न के आयातक से 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्यातक देश बनने में सफलता हासिल की।

**नकारात्मक पहलू:**

**1. संसाधनों पर अत्यधिक दबाव:**

हरित क्रांति ने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई पर भारी निर्भरता बनाई। इससे पर्यावरणीय संकट, मृदा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ उत्पन्न हुईं। लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, जिससे भविष्य में कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**2. सभी क्षेत्रों में समान प्रभाव नहीं:**

हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ सीमित क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। अन्य राज्यों और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी और पूर्वी भारत के कृषि क्षेत्र में इसका उतना प्रभाव नहीं देखा गया, जिससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में समानता की कमी रही।

**3. किसान और श्रमिकों पर प्रभाव:**

हरित क्रांति के दौरान, बड़ी पूंजी और तकनीकी दक्षता वाले किसान ही लाभान्वित हो पाए। छोटे और मझोले किसान जिनके पास संसाधनों की कमी थी, वे इसके लाभ से वंचित रहे। इसके अलावा, उच्च लागत के कारण किसानों को कर्ज का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर किसान आत्महत्या की घटनाएँ भी बढ़ीं।

**4. जल संकट:**

हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग किया। इससे देश के कुछ क्षेत्रों में जल संकट गहरा गया, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहाँ भूजल स्तर बहुत गिर चुका है।

हरित क्रांति ने भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न सुरक्षा में सुधार लाया, लेकिन इसके साथ ही इसने कृषि क्षेत्र में कई विषमताएँ भी उत्पन्न कीं। हरित क्रांति का प्रभाव केवल उत्पादन में वृद्धि तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ भी उभरीं।

**1. भूमि और पूंजी आधारित विषमता:**

- हरित क्रांति के प्रभाव से सबसे बड़ी विषमता भूमि और पूंजी के आधार पर पैदा हुई।
- “संपत्ति आधारित असमानताएँ”: हरित क्रांति में उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का अधिक उपयोग किया गया, जो केवल बड़े और समृद्ध किसानों के लिए सुलभ थे। छोटे और मझोले किसानों के पास इन महंगे संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी।
- “बड़े किसानों का लाभ”: पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध क्षेत्रों के बड़े किसान इस तकनीक से अधिक लाभान्वित हुए, क्योंकि उनके पास अधिक भूमि और पूंजी थी। इसके परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई।
- “छोटे किसानों की स्थिति”: इसके विपरीत, छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास न तो पर्याप्त भूमि थी और न ही पूंजी, उन्हें इस लाभ का लाभ नहीं मिल पाया। इन किसानों को महंगे उर्वरकों और उपकरणों के लिए कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई।

**2. क्षेत्रीय विषमता:**

- “प्रभावित क्षेत्रों में असमान विकास”: हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ राज्यों और क्षेत्रों तक सीमित रहा। पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ उठाया, जबकि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और अन्य पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में इसका प्रभाव नगण्य रहा। इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं की कमी और अन्य बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल सका।

- “कृषि क्षेत्र में असमान विकास”: हरित क्रांति ने उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की, जिनके पास सिंचाई सुविधाएँ और उपजाऊ भूमि थी। वहीं, जो क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित थे, उनकी कृषि वृद्धि में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। इससे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कृषि विकास की गति में असमानताएँ उत्पन्न हुईं।

### 3. पर्यावरणीय विषमता:

- “मृदा और जल संकट”: हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए भारी माला में जल का उपयोग किया, जो कुछ क्षेत्रों में जल संकट का कारण बना। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- “रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग”: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मृदा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा दिया। इससे खेतों की जैविक संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ा और कई स्थानों पर कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आई।

### 4. सामाजिक विषमता:

- “मूल्य वृद्धि और किसान संकट”: हरित क्रांति के दौरान, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही लागत भी बढ़ी। उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई उपकरणों की कीमतें बढ़ने से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। कई किसानों ने ऋण लिया, और कुछ को कर्ज चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी और कर्ज के बोझ तले दबने के कारण आत्महत्याएँ भी बढ़ीं, विशेषकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक जैसे राज्यों में।
- “कृषि मजदूरों की स्थिति”: हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव आया, लेकिन इससे कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। खेतों में मशीनों के उपयोग से कृषि मजदूरों की मांग में कमी आई, और उनके काम के अवसर भी सीमित हो गए।

### 5. लैंगिक विषमता:

- “महिलाओं की भूमिका”: हरित क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ, लेकिन महिलाओं को इसका उतना लाभ नहीं मिला। महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से घरेलू और कृषि कार्यों तक सीमित रही, और उन्हें इस नई कृषि पद्धतियों में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सीमित लाभ मिला।
- हरित क्रांति का प्रभाव भारत में कृषि क्षेत्र में गहरे और दूरगामी बदलावों का कारण बना, और इसके परिणाम आज भी कृषि प्रणाली, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

### 1. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति ने 1960 के दशक में भारतीय कृषि के उत्पादन में बड़ी वृद्धि की। उच्च उपज वाली किस्मों के बीज (HYVs), सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे गेहूँ, चावल, और अन्य फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई।
- “वर्तमान समय में, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और 2.7 बिलियन टन से अधिक कुल खाद्यान्न उत्पादन करता है। भारतीय कृषि अब केवल घरेलू आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत खाद्यान्न के निर्यातक देशों में भी शामिल हो गया है। हालांकि, यह वृद्धि आज भी इस बात पर निर्भर करती है कि सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का सस्ते दामों पर उपलब्ध होना जारी रहे।

### 2. पर्यावरणीय प्रभाव:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति के दौरान कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, और अत्यधिक सिंचाई का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे मृदा प्रदूषण, जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हुआ।

- “वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भूजल स्तर कई क्षेत्रों में खतरनाक रूप से गिर गया है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आई है, जिससे कृषि उत्पादकता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

### 3. कृषि क्षेत्र में असमान विकास:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को मिला जहां सिंचाई सुविधाएँ और अच्छी भूमि थी। इसके फलस्वरूप, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन इसका लाभ सभी राज्यों और किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँचा।
- “वर्तमान समय में हम यह देखते हैं कि कुछ क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ने हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ उठाया, जबकि कई अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी भारत, इस तकनीकी विकास से वंचित रहे। यह असमानता आज भी भारतीय कृषि के विकास में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

### 4. किसानों की आर्थिक स्थिति:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति के दौरान बड़े किसानों को फायदा हुआ क्योंकि उनके पास संसाधन और पूंजी थे। छोटे और मझोले किसान, जिनके पास इन तकनीकों को अपनाने के लिए पूंजी की कमी थी, आर्थिक संकट का सामना करने लगे।
- “वर्तमान समय में भारतीय कृषि में किसानों की स्थिति में बड़ा अंतर है। बड़े किसान अब भी समृद्ध हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कई किसान आज भी कृषि कार्य में घाटा झेल रहे हैं और कर्ज के कारण आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

### 5. जलवायु परिवर्तन और जल संकट:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला, जिससे जल संकट उत्पन्न हुआ।
- “वर्तमान समय में कई राज्यों में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है। विशेष रूप से, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती है, भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। जलवायु परिवर्तन भी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिससे सूखा, बाढ़ और मौसम में अनियमितताएँ जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

### 6. कृषि में तकनीकी बदलाव और रोजगार:

- “हरित क्रांति के प्रभाव”: हरित क्रांति ने कृषि में तकनीकी बदलाव लाया और कृषि उत्पादन में वृद्धि की। लेकिन इसने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदल दिया और अधिकतम तकनीकी पूंजी और पूंजी निवेश की आवश्यकता बनाई।
- “वर्तमान समय में भारतीय कृषि में तकनीकी उपकरणों का व्यापक उपयोग बढ़ गया है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसके कारण, जहां कृषि उत्पादन बढ़ा है, वहीं परंपरागत श्रमिकों की संख्या में कमी आई है, और कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं।

### निष्कर्ष:

हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, यह सत्य है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याएँ आज भी कृषि और समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तकनीकी विकास और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, इसका पर्यावरणीय प्रभाव, असमान विकास, जल संकट और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम हरित क्रांति के सकारात्मक पहलुओं को कायम रखते हुए, इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी और पर्यावरणीय - कृषि पद्धतियों को अपनाएं।

**6.a भारत की शासन व्यवस्था के लिए सहकारी संघवाद की अवधारणा अनुकूल है। उन तत्वों की पहचान कीजिए, जो इस अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हैं, साथ ही इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।**

**The concept of cooperative federalism is suitable for India's system of governance. Identify the elements that strengthen this concept, and also examine the challenges that arise in this context.**

भारत की शासन व्यवस्था में संघीय ढांचा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। इसके साथ ही, यह संघीय ढांचा एक ऐसा तंत्र भी है जो सहकारी संघवाद पर आधारित है। सहकारी संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, न कि केवल एक-दूसरे से अलग या प्रतिस्पर्धी रूप से। भारत की शासन व्यवस्था में सहकारी संघवाद की अवधारणा की अनुकूलता को समझने के लिए हमें इसके तत्वों और विशेषताओं को समझना होगा।

#### **सहकारी संघवाद की अवधारणा:**

सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का समान और समन्वित वितरण होता है, जहां दोनों स्तरों की सरकारें एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। यह किसी एक सत्ता द्वारा निर्णय लेने की बजाय मिलकर फैसले लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। भारत में सहकारी संघवाद का पालन संविधान के विभिन्न प्रावधानों और विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के द्वारा किया जाता है, जो राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं।

#### **भारत में सहकारी संघवाद के तत्व:**

##### **1. संविधान का संघीय ढांचा:**

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक संघ (Union) के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी-अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं।
- संविधान में “केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची” के माध्यम से शक्ति का वितरण किया गया है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों को विशेष अधिकार प्रदान करता है और राज्यों को स्वायत्तता भी देता है।
- राज्य को कानूनी स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन” सुनिश्चित करने के लिए यह ढांचा सहकारी संघवाद की ओर अग्रसर होता है।

##### **2. वित्त आयोग और संसाधन वितरण:**

- वित्त आयोग (Finance Commission) एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जो राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधनों के उचित वितरण की व्यवस्था करता है।
- वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को उनके राजस्व का उचित हिस्सा निर्धारित किया जाता है, जिससे राज्यों को विकास के लिए जरूरी संसाधन मिलते हैं। यह प्रक्रिया सहकारी संघवाद को सशक्त बनाती है।
- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता भी देती है, जो राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करती है।

##### **3. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC):**

- “राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है।

- इस मंच पर केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ बैठकर विकास की रणनीतियों पर विचार करती हैं, जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाती है।

#### **4. समवर्ती सूची:**

- भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह एक प्रकार का सहयोगी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें दोनों सरकारें समान रूप से योगदान कर सकती हैं।
- इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे शिक्षा, आपदा प्रबंधन, और अपराध आते हैं, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, और दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं।

#### **5. केंद्र-राज्य संबंधों में लचीलापन:**

- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण गठबंधन सरकारों के दौरान देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर, जब केंद्र और राज्यों के विभिन्न दलों की सरकारें होती हैं, तो उन्हें सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक सहकारी प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- “राष्ट्रीय संकट” (जैसे प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध) के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच त्वरित और सामूहिक सहयोग की आवश्यकता होती है, जो सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करता है।

#### **6. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना:**

- केंद्र सरकार अक्सर “राज्य सरकारों को योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं।
- इसके माध्यम से राज्य सरकारों को अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता मिलती है, जबकि केंद्र सरकार मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करती है।

#### **7. राज्य पुनर्गठन और राज्य विशेष समस्याएं:**

समय-समय पर राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य विशेष योजनाएं के माध्यम से केंद्र ने राज्यों की विविधताएँ समझी और उनके विकास के लिए योजनाएँ बनाईं। उदाहरण के लिए, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज या जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष सहायक योजनाएं केंद्र की सहकारी संघवाद की दिशा को दिखाती हैं।

#### **भारत में सहकारी संघवाद को मजबूती देने वाले कारक:**

##### **1. संविधान में निहित प्रावधान:**

भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संबंधों को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि समवर्ती सूची और वित्त आयोग के प्रावधान, जो दोनों सरकारों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक सामंजस्य बनाए रखते हैं।

##### **2. संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच सहयोग:**

- संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच निरंतर संवाद और सहयोग होता है।
- Inter-State Council और “राष्ट्रीय विकास परिषद” के माध्यम से, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।

### 3. विकासात्मक योजनाओं का साझा निर्माण:

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर योजनाओं का निर्माण करती हैं, जैसे “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” (MGNREGA) और “राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन” (NRHM), जिनमें दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में जिम्मेदारियां निभाती हैं।

### 4. राज्य और केंद्र के बीच संकट प्रबंधन:

जब भी राष्ट्रीय संकट या आपदा होती है, जैसे “कोविड-19 महामारी” या “प्राकृतिक आपदाएं”, तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर संकट प्रबंधन करती हैं। यह सहकारी संघवाद की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

**भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:**

#### 1. केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों का असंतुलन:

- “केंद्र का प्रभुत्व: भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे राज्य सरकारों को कुछ मामलों में सीमित स्वायत्तता मिलती है। केंद्र का प्रभाव बढ़ता गया है, विशेष रूप से “समवर्ती सूची” के क्षेत्रों में, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कई बार राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नीति नहीं बना पाते।
- “केंद्र द्वारा हस्तक्षेप”: केंद्र सरकार कई बार राज्यों के मामलों में बिना उनकी सहमति के हस्तक्षेप करती है, विशेष रूप से जब राज्य सरकारें केंद्र की नीतियों से असहमत होती हैं। इससे राज्य सरकारों के स्वायत्त अधिकारों में कमी आती है और सहकारी संघवाद में असहमति पैदा होती है।

#### 2. वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण:

- “राज्यों के बीच वित्तीय असमानता”: भारत में राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण एक प्रमुख समस्या है। जबकि समृद्ध राज्यों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, गरीब राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती।
- “वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भरता: वित्त आयोग द्वारा किए गए संसाधन वितरण की सिफारिशों पर निर्भरता से कुछ राज्यों को उचित हिस्सा नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, “बिहार, उत्तर प्रदेश” और “उत्तर-पूर्वी राज्य” जैसे पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें उतनी मदद नहीं मिलती, जितनी उन्हें चाहिए।

#### 3. असमंजसपूर्ण नीति निर्धारण और लागू करने में कठिनाई:

- कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच “नीति निर्धारण में असहमति” होती है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ राज्यों की विशेष परिस्थितियों से मेल नहीं खाती, जिससे राज्यों को लागू करने में कठिनाई होती है।
- “सामाजिक कल्याण योजनाओं” और “आर्थिक सुधारों” की विभिन्नता राज्यों में लागू करने में विभिन्नता उत्पन्न करती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को प्रभावित करती है।

#### 4. केंद्र-राज्य के बीच राजनीतिक मतभेद:

- भारत में राज्यों और केंद्र के बीच अक्सर “राजनीतिक मतभेद” उत्पन्न होते रहते हैं, विशेष रूप से जब केंद्र और राज्य सरकारों के दल अलग-अलग होते हैं। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में विघ्न उत्पन्न होता है।
- “गठबंधन सरकारों” के दौरान यह मतभेद और बढ़ जाते हैं, जिससे केंद्र और राज्य के बीच काम करने में मुश्किलें आती हैं।

#### 5. संघीय संस्थाओं का कमजोर होना:

- inter state council जैसी संघीय संस्थाओं की सीमित प्रभावशीलता एक अन्य चुनौती है। यह संस्था राज्यों के बीच संवाद और विवाद निवारण के लिए है, लेकिन इसकी सक्रियता और प्रभावशीलता में कमी रही है। यह केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को बेहतर बनाने में मुश्किलें उत्पन्न करता है।
- इसके अलावा, “राज्य सभा” जैसे संघीय संस्थाओं की भूमिका सीमित है, और उनका असर भी केंद्र के फैसलों पर बहुत अधिक नहीं होता।

#### 6. राज्य के विकास में असमानता:

- विभिन्न राज्यों के “विकास स्तर में असमानता” है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। कुछ राज्यों में पर्याप्त औद्योगिकीकरण और संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी गरीब हैं और उनका विकास ठहरा हुआ है।
- विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्य, बिहार, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विकास की गति बहुत धीमी है, और इन्हें बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता है।

#### 7. आपातकालीन स्थितियों में असहयोग:

- जब “आपातकालीन स्थितियाँ” (जैसे, प्राकृतिक आपदाएँ या महामारी) उत्पन्न होती हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। हालांकि, कुछ मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधन वितरण, राहत कार्यों और नीतियों पर असहमति उत्पन्न होती है।
- उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लॉकडाउन नियमों और वितरण व्यवस्थाओं को लेकर मतभेद सामने आए थे।

#### 8. संवैधानिक और प्रशासनिक जटिलताएँ:

- भारत के संविधान में “केंद्र और राज्य के बीच बारीकी से बांटी गई शक्तियाँ” और संविधान की जटिलताएँ कभी-कभी विवाद उत्पन्न कर सकती हैं। जब केंद्र और राज्य किसी मुद्दे पर असहमत होते हैं, तो यह न्यायपालिका के पास जाता है, जो निर्णय लेने में समय लेता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप और संवैधानिक विवादों का समाधान मिलने में समय लगता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण कार्यप्रणाली में बाधा डालता है।

#### 9. समाजिक और सांस्कृतिक विविधता:

भारत में विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक, भाषाई, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग-अलग प्राथमिकताओं और जरूरतों के साथ काम करते हैं। हालांकि सहकारी संघवाद राज्यों को अपनी विशिष्ट समस्याओं को हल करने का अवसर देता है, लेकिन कभी-कभी इन विविधताओं के कारण सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है।

#### निष्कर्ष:

भारत की शासन व्यवस्था के लिए सहकारी संघवाद की अवधारणा अत्यंत अनुकूल है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग, संसाधनों का समान वितरण, और विकास के उद्देश्य को साकार करने के लिए एक सशक्त ढांचा प्रदान करती है। संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक ढांचा, वित्त आयोग, समवर्ती सूची, और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी संस्थाएँ सहकारी संघवाद को मजबूत करती हैं। इन तत्वों के माध्यम से, भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं, जिससे देश के विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता और समग्र विकास संभव होता है।

भारत में सहकारी संघवाद एक महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यवस्था है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संवाद, वित्तीय समन्वय, और राजनीतिक असहमति को दूर करने के प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही, राज्यों के विशेष संदर्भों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना भी आवश्यक है। इन चुनौतियों का समाधान करके, सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूत किया जा सकता है और भारत में केंद्र-राज्य सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

**b. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधानों का समझाइए। भारत में राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह अधिनियम किस रूप में प्रभावी हो सकता है। भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।**

**Explain the key provisions of the Nari Shakti Vandan Act, 2023. How can this Act be effective in achieving the goals of gender equality in the political and social spheres in India? Provide a brief discussion on the efforts made by the Government of India toward achieving gender equality.**

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम विशेष रूप से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से संसद में उनके आरक्षित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है।

**नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**

**1. महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण:**

- “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत, भारत की “लोकसभा (संसद) और “राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
- इस प्रावधान से महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व पा सकेंगी। इससे महिला नेतृत्व को और बढ़ावा मिलेगा और उनके निर्णयों में भागीदारी भी बढ़ेगी।

**2. लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व:**

- यह अधिनियम लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है। इससे महिलाओं की भागीदारी संसद में अधिक होगी और वे नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

**3. पार्टी प्रणाली में बदलाव:**

- राजनीतिक दलों को अब महिला उम्मीदवारों को “33% टिकट” देने की जरूरत होगी। इस प्रकार, महिलाएं चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी और उनके लिए नए अवसर पैदा होंगे।

**5. सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी:**

- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना है। यह महिलाओं को अपनी आवाज़ सुनाने और समाज में प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है।

**6. संविधान में संशोधन:**

- “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत, भारत के संविधान में “106वें संशोधन” किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- यह कानून अगले जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।
- 33% महिला आरक्षण” के प्रावधान पहले कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होंगे, और फिर धीरे-धीरे इसे “देशभर में लागू” किया जाएगा।
- भारत में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव”

#### **1. राजनीतिक सशक्तिकरण:**

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में मदद करेगा। महिलाओं को सत्ता के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी, जिससे उनकी आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और निर्णयों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जाएगा।

#### **2. सामाजिक संरचना में बदलाव:**

महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी से सामाजिक संरचना में बदलाव आ सकता है। यह अधिनियम महिलाओं को यह संदेश देगा कि वे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक फैसलों में समान रूप से भागीदार हो सकती हैं। इससे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

#### **3. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा:**

जब महिलाएं संसद और विधानसभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, तो यह उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर कानून बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा, महिलाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी मदद मिलेगी।

#### **4. आर्थिक सशक्तिकरण:**

राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इससे महिलाओं के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति एक मजबूत पहचान मिलेगी।

#### **चुनौतियाँ:**

##### **1. राजनीतिक दलों का सहयोग:**

इस अधिनियम की प्रभावशीलता राजनीति दलों के सहयोग पर निर्भर करती है। यदि दल महिलाओं को उचित स्थान और अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल पाएगा।

##### **2. परंपरागत मानसिकता:**

भारत में अब भी कई स्थानों पर महिलाओं के प्रति परंपरागत मानसिकता का प्रभाव है। ऐसे में यह जरूरी है कि समाज को जागरूक किया जाए और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए।

##### **3. संसदीय प्रक्रियाओं में प्रभाव:**

- भले ही महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया हो, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि वे संसद में अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठा सकें। इसके लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- “Global Gender Gap Report में भारत का हालिया 5 वर्षों का प्रदर्शन”
- Global Gender Gap Report (GGGR) प्रत्येक वर्ष विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी की जाती है,

जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों में लैंगिक समानता के स्तर का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में चार मुख्य श्रेणियाँ होती हैं:

1. “आर्थिक समानता (Economic Participation and Opportunity)”
2. “शिक्षा (Educational Attainment)”
3. “स्वास्थ्य (Health and Survival)”
4. “राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Empowerment)”

#### **भारत का प्रदर्शन (Global Gender Gap Report 2020-2024):**

##### **1. 2020 में प्रदर्शन:**

- “रैंक:” 112वां
- “सकारात्मक पहलू:” शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर स्थिति रही, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर थी।

##### **2. 2021 में प्रदर्शन:**

- “रैंक:” 140वां
- भारत ने 2021 में और भी बड़ी गिरावट देखी और 140वां स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष की रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक समानता के क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन दिखा। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और उनके प्रति लैंगिक भेदभाव में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। हालांकि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ।

##### **3. 2022 में प्रदर्शन:**

- “रैंक:” 135वां
- भारत का प्रदर्शन 2022 में थोड़ा सुधरा, लेकिन “आर्थिक समानता” और “राजनीतिक सशक्तिकरण” में चुनौतियाँ बनी रहीं। भारतीय महिलाओं के लिए कार्यबल में भागीदारी कम रही और राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या बहुत सीमित थी।
- “स्वास्थ्य और शिक्षा” में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता थी।

##### **4. 2023 में प्रदर्शन:**

- “रैंक:” 127वां
- 2023 में भारत ने कुछ सुधार दिखाया और रैंक में थोड़ा सुधार हुआ। “स्वास्थ्य और शिक्षा” में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन “आर्थिक समानता” और “राजनीतिक सशक्तिकरण” में बहुत बड़ी कमी बनी रही।
- महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और उनके लिए समान अवसरों की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

5. 2024 में प्रदर्शन:

- “रैंक:” 127वां (लगभग वही रैंक 2023 के समान)
- 2024 में भी भारत की रैंक में विशेष बदलाव नहीं आया और यह “127वां” ही रही। भारत की “आर्थिक समानता” और “राजनीतिक क्षेत्र” में स्थिति अब भी चिंताजनक है। हालांकि, “स्वास्थ्य और शिक्षा” के क्षेत्र में थोड़े बहुत सुधार हुए हैं लेकिन आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है।

**भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हालिया प्रयासों और योजनाओं की चर्चा:**

**1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao, Beti Padhao Yojana):**

यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात को सुधारना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है। योजना के अंतर्गत सरकार ने कई राज्यों में जागरूकता अभियान, बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, और महिला स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया है।

**2. महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana):**

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, सशक्तिकरण कार्यक्रम, और कानूनी सहायता को शामिल किया गया है।

**3. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Empowerment of Women):**

यह नीति महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों से अवगत कराने के साथ-साथ उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और न्याय व्यवस्था में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

**4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को छोटे और मझोले व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो।

**5. स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHGs):**

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं एक-दूसरे से सहयोग करती हैं और छोटे व्यवसाय, जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, आदि शुरू करती हैं। इससे महिलाओं को अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर मिलते हैं और वे सामाजिक, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं।

**6. महिला हेल्पलाइन (181 Women's Helpline):**

महिला हेल्पलाइन की शुरुआत महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और हिंसा को रोकने के लिए की गई है। इस हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं अपनी समस्याओं को सीधे पुलिस और प्रशासन से साझा कर सकती हैं। यह सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध है और महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करती है।

**7. उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana):**

यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार गरीब महिलाओं को रसोई गैस (LPG) कनेक्शन प्रदान करती है, ताकि वे स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकें और कचरा जलाने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें।

**8. प्रत्येक जिले में महिला थाना (Women Police Stations in Every District):**

महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला थाने स्थापित करने की योजना बनाई है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाता है, जिससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके।

**9. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW):**

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच और समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। आयोग महिलाओं के लिए नए कानून बनाने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों की गंभीरता से निपटाने की दिशा में काम करता है।

**10. स्मार्ट गर्ल्स प्रोग्राम (Smart Girls Program):**

यह कार्यक्रम महिलाओं को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और डिजिटल दुनिया में भी अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें।

**निष्कर्ष:**

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे और वे समाज में अपनी भूमिका को और सशक्त रूप से निभा सकेंगी। हालांकि, इसे पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए समाज में मानसिकता के बदलाव और राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है। भारत सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना, उन्हें सशक्त बनाना और समाज में उनका सम्मान बढ़ाना है।

**7.a प्रस्तावना संविधान का सारांश है। विवेचना कीजिए**

**The preamble is a summary of the Constitution. Discuss.**

प्रस्तावना भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और उद्देश्यों का सार प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का संक्षेप में परिचय देती है और यह संविधान के उद्देश्यों, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, और गणराज्य की स्थापना को स्पष्ट करती है।

संविधान का उद्देश्य और संरचना: भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्शों को प्रदर्शित करती है। इसमें 'हम भारत के लोग' से शुरुआत होती है, जो संविधान की शक्ति को भारतीय जनता से प्राप्त होने की बात करती है। यह संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा है।

सारांश और मार्गदर्शन: प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करती है, जैसे – समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता और न्याय। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के सिद्धांतों का मार्गदर्शन करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना संविधान का सारांश होने के बजाय उसके उद्देश्यों का विस्तृत परिचय देती है।

संविधान की व्याख्या में भूमिका: भारतीय न्यायपालिका ने कई बार प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण माना है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान के अन्य प्रावधानों को समझने और व्याख्या करने में एक दिशा प्रदान करती है। हालांकि, इसे संविधान के प्रावधानों की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाता, लेकिन यह संविधान की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावना और संविधान के संशोधन: प्रस्तावना में बदलाव को लेकर 1973 के Keshavananda Bharati केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसका मूल ढांचा या आत्मा न बदले। यह दर्शाता है कि प्रस्तावना संविधान का सारांश होने के बजाय उसके मूल विचारों का प्रतिबिंब है।

#### **निष्कर्ष:**

यह कथन कि "प्रस्तावना संविधान का सारांश है" कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और विचारों का सार प्रस्तुत करती है, लेकिन यह संविधान का पूरी तरह से सारांश नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान के सभी प्रावधानों का विस्तार नहीं है। इसके बजाय, यह संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों का संक्षेप में परिचय देती है। इसलिए, इसे संविधान का 'सारांश' कहना उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि इसे संविधान का 'उद्देश्य निर्धारण' और 'मार्गदर्शक सिद्धांत' कहा जा सकता है।

#### **b. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझाइए।**

#### **Explain the constitutional amendment process under Article 368.**

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 (Article 368) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों में बदलाव करने के लिए इसे संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, संशोधन की प्रक्रिया सख्त और जटिल है, ताकि संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखा जा सके।

##### **1. संविधान संशोधन की सामान्य प्रक्रिया:**

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया साधारण कानून की प्रक्रिया से अलग है और इसमें संसद की दोनों सदनों की संपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होती है। संशोधन के लिए तीन प्रमुख चरण होते हैं:

##### **1.1 संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव:**

संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले एक संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में (लोकसभा और राज्यसभा) विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

##### **1.2 संसद में विधेयक का पारित होना:**

- संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित किया जाना चाहिए:
- लोकसभा (निचला सदन): बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

- राज्यसभा (उच्च सदन): इसमें भी बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
- यदि यह विधेयक दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।

### 1.3 राज्यों से अनुमोदन (यदि आवश्यक हो):

किसी विशेष मामले में, संविधान संशोधन के लिए राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक हो सकता है। यह परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:

- यदि संविधान के किसी प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला संशोधन हो (जैसे, राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना या संघीय व्यवस्था को प्रभावित करना), तो इसे राज्यों की आधिकारिक मंजूरी भी प्राप्त करनी होती है।
- इसमें कम से कम 50% राज्य (अर्थात आधे राज्यों) का अनुमोदन आवश्यक होता है। यह मंजूरी राज्य विधानसभाओं द्वारा दी जाती है।

### 2. संविधान संशोधन विधेयक का राष्ट्रपति के पास अनुमोदन:

संविधान संशोधन विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देनी होती है, हालांकि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को केवल इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने की बजाय यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का माध्यम होते हैं।

### 3. संविधान संशोधन का प्रभाव:

जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो यह संविधान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है और यह नई व्यवस्था या संशोधन लागू हो जाता है।

### 4. संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रकार:

संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है, जो संविधान के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग होती है:

#### 4.1 आसान संशोधन

यह तब होता है जब संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन किया जाता है, जिनके लिए केवल संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है और राज्यों के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती।

#### 4.2 मध्यम संशोधन

कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे पारित होना ज़रूरी है

#### 4.3 कठोर संशोधन

इस प्रकार के संशोधन में राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, साथ ही संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना ज़रूरी होता है।

### 5. संविधान संशोधन और न्यायालय की भूमिका:

संविधान के संशोधन के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों ने यह निर्णय लिया है कि संविधान का "मूल ढांचा" (Basic Structure Doctrine) अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब यह है कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के मौलिक ढांचे को बदलता है, वह असंवैधानिक होगा। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था।

**निष्कर्ष:**

अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसे लागू करने के लिए संसद और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संशोधन न केवल संसद के सदस्यों की इच्छा के आधार पर हो, बल्कि राज्यों की सहमति और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा भी की जाए।

### **c. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों का महत्व**

#### **The importance of pressure groups in Indian politics.**

लोकतंत्र में “दबाव समूह (Pressure Groups)” राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये वे संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों और निर्णयों पर प्रभाव डालने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका “नीति निर्माण, जनमत निर्माण, सामाजिक आंदोलनों और सत्ता के विकेंद्रीकरण” में महत्वपूर्ण रही है। ये समूह विभिन्न “आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक हितों” का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनाते हैं।

#### **1. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका**

(क) नीति निर्माण और विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव

दबाव समूह विभिन्न सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण: “फिक्की (FICCI) और एसोचैम (ASSOCHAM)” जैसे व्यापारिक संगठन सरकार की “औद्योगिक और व्यापार नीतियों” को प्रभावित करते हैं।

“न्यायपालिका पर प्रभाव:” कई बार दबाव समूह “सार्वजनिक हित याचिकाओं (PIL)” के माध्यम से न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।

“किसान संगठनों” ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में प्रभावी भूमिका निभाई।

(ख) जनमत निर्माण और जागरूकता बढ़ाने में भूमिका

दबाव समूह विभिन्न मुद्दों पर जनता को जागरूक करने और “सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन” आयोजित करते हैं।  
उदाहरण: “नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA), मेधा पाटकर के नेतृत्व में, बड़े बांधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में कार्य किया।

“2020-21 के किसान आंदोलन” में किसान संघों और ट्रेड यूनियनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

(ग) सामाजिक परिवर्तन और सुधार में योगदान

कई दबाव समूह सामाजिक सुधारों में सहायक होते हैं और हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज़ उठाते हैं।

उदाहरण:

“दलित पैथर्स” और “बहुजन समाज संगठनों” ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

“नेशनल एलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (NAPM)” जैसे समूह सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत हैं।

(घ) सत्ता संतुलन और लोकतांत्रिक मजबूती

लोकतंत्र में सत्ता केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दबाव समूह “सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने” में भी मदद करते हैं।  
“उदाहरण:” “मजदूर संगठनों” ने औद्योगिक नीतियों को मजदूरों के अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष किया, जिससे श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हुए।

“महिला संगठनों” ने महिलाओं के लिए आरक्षण और सुरक्षा कानूनों में संशोधन के लिए दबाव डाला।

## **2. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के प्रकार**

भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह सक्रिय हैं, जिन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(क) आर्थिक और व्यावसायिक दबाव समूह

ये समूह औद्योगिक नीति, कराधान और श्रम कानूनों को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण:

“फिक्की (FICCI) और एसोचैम (ASSOCHAM)” – व्यापार और उद्योग से जुड़े दबाव समूह।

“भारतीय मजदूर संघ (BMS) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)” – मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले संगठन। (ख) किसान और श्रमिक संगठन

ये समूह कृषि और श्रम सुधारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को प्रभावित करते हैं।

“उदाहरण:

“भारतीय किसान यूनियन (BKU) और अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)” – किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष।

“रेलवे यूनियन और बैंक कर्मचारी संघ” – सरकारी कर्मचारियों की मांगों के लिए आंदोलन।

(ग) जातिगत और सामाजिक समूह

ये समूह विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।

उदाहरण:

“दलित संगठनों” ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) को मजबूत बनाने के लिए दबाव डाला।

“अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों” ने मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में आंदोलन किया।

(घ) धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव समूह

ये समूह धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर सरकार से संवाद करते हैं।

उदाहरण:

“विश्व हिंदू परिषद (VHP) और जमात-ए-इस्लामी हिंद” – धार्मिक मामलों में सक्रिय दबाव समूह।

“सिख संगठनों ने पंजाब में धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए।”

(ङ) पर्यावरण और मानवाधिकार समूह

ये समूह पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों पर सरकार को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण:

“ग्रीनपीस इंडिया” – पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संगठन।

“एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया” – मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाने वाला समूह।

### 3. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों से जुड़ी चुनौतियाँ

(क) पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी

कई दबाव समूहों का “कोई कानूनी ढांचा नहीं है”, जिससे उनकी वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

“2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले कॉरपोरेट दबाव समूहों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।”

(ख) हिंसक आंदोलन और अराजकता

कभी-कभी दबाव समूह “हिंसा और कानून-व्यवस्था की समस्या” खड़ी कर देते हैं।

“उदाहरण:” 2018 में “मराठा आरक्षण आंदोलन” और “पटेल आरक्षण आंदोलन” हिंसक हो गए थे।

(ग) पक्षपात और भ्रष्टाचार

कुछ दबाव समूह “वर्तमान सरकार या किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम करते हैं”, जिससे लोकतंत्र प्रभावित होता है।

“उदाहरण:” बड़े औद्योगिक घराने कई बार “नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।”

(घ) संगठित और असंगठित दबाव समूहों के बीच असमानता-

संगठित दबाव समूह जैसे “कॉरपोरेट लॉबी” अपनी मांगों को प्रभावी तरीके से सरकार तक पहुँचा सकते हैं, जबकि “श्रमिक और किसान संगठन” अक्सर अपनी माँगें मनवाने में असफल रहते हैं।

### 4. भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की प्रासंगिकता

- “नीति निर्माण को अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं।”
- “जनता और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करते हैं।”
- “समाज के वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद करते हैं।”
- “अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं।”

**निष्कर्ष:**

भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह “लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति निर्माण और सत्ता संतुलन” को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इनकी कार्यप्रणाली में “पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिक नियंत्रण” की आवश्यकता है ताकि ये केवल “विशेष वर्गों के हितों की बजाय राष्ट्रीय कल्याण के लिए कार्य करें”। यदि इनका सही उपयोग किया जाए, तो ये लोकतंत्र को और अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बना सकते हैं।

**d. मखाना की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं क्या हैं? मखाना उत्पादन में बिहार का क्या योगदान है?**

**What are the ideal geographical conditions for the cultivation of fox nuts (Makhana)? What is Bihar's contribution to Makhana production?**

मखाना (*Euryale ferox*) एक जलीय फसल है, जो मुख्य रूप से “तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाले जलाशयों” में उगाई जाती है। इसे “फॉक्स नट (Fox Nut) या गोरगोदा” भी कहा जाता है। मखाना की खेती मुख्य रूप से “भारत, चीन, जापान और रूस” में होती है, लेकिन भारत में यह “बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश” में सबसे अधिक उगाया जाता है। बिहार इस फसल के उत्पादन में “भारत का अग्रणी राज्य” है और इसे “GI (Geographical Indication) टैग” भी प्राप्त है।

**1. मखाना की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक परिस्थितियाँ-**

- मखाना की खेती के लिए कुछ विशेष “जलवायु, मिट्टी और जल निकायों” की आवश्यकता होती है।

**(क) जलवायु परिस्थितियाँ**

- “उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु (Tropical & Subtropical Climate)” मखाना की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
- इसके लिए “औसत तापमान 20°C से 35°C” के बीच होना चाहिए।
- मखाना जलाशयों में उगता है, इसलिए “नमी (Humidity) अधिक होने पर इसका उत्पादन बेहतर होता है।
- “मानसून के मौसम (जून-सितंबर)” में इसकी बुवाई की जाती है और “शरद ऋतु (अक्टूबर-नवंबर)” में कटाई होती है।

**(ख) मिट्टी और जल निकायों की आवश्यकताएँ**

- मखाना की खेती के लिए “दलदली (Marshy) और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी” सबसे उपयुक्त होती है।
- इसकी अच्छी पैदावार के लिए “पीएच मान 6.5 से 7.5” के बीच होना चाहिए।
- मखाना की खेती मुख्य रूप से “तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाले जलाशयों” में होती है।
- जल की गहराई “1 से 1.5 मीटर” होनी चाहिए ताकि पौधे ठीक से बढ़ सकें।

**(ग) जल प्रबंधन और फसल चक्र**

- मखाना की खेती के लिए “स्थिर जल स्रोतों” की आवश्यकता होती है।
- इसकी खेती के लिए जलाशयों की “नियमित सफाई और जल का उचित स्तर बनाए रखना जरूरी है।”
- अक्सर इसे “मछली पालन (Aquaculture) और धान की खेती” के साथ किया जाता है, जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है।

**2. बिहार का मखाना उत्पादन में योगदान**

बिहार “भारत में कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% योगदान देता है, और यहाँ की “दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और सुपौल” जिलों में इसकी खेती सबसे अधिक होती है।

**(क) बिहार में मखाना उत्पादन के आँकड़े**

- बिहार में मखाना की खेती “15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि” पर होती है।

- “राज्य का वार्षिक उत्पादन लगभग 50,000 टन” से अधिक है।
- 2023-24 में बिहार सरकार ने मखाना किसानों को 35% सब्सिडी देने की घोषणा की, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) आर्थिक और सामाजिक योगदान

- बिहार में मखाना उत्पादन से “करीब 2.5 लाख किसान और मजदूर जुड़े हुए हैं।”
- इससे किसानों को “धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में 2-3 गुना अधिक लाभ” मिलता है।
- बिहार सरकार “मखाना मिशन” के तहत “इसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट” को बढ़ावा दे रही है।

(ग) मखाना को GI टैग और वैश्विक बाजार में पहचान

- 2022 में “मखाना” को GI (Geographical Indication) टैग मिला, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
- बिहार से “हर साल 500 करोड़ रुपये से अधिक का मखाना निर्यात किया जाता है।”

(घ) सरकार की पहल और अनुसंधान

- “ICAR (Indian Council of Agricultural Research) और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा” मखाना की नई किस्मों और आधुनिक तकनीकों पर शोध कर रहे हैं।
- बिहार सरकार ने “बिहार मखाना नीति 2023” लागू की है, जिसमें किसानों को “आधुनिक तकनीक, मार्केटिंग सपोर्ट और वित्तीय सहायता” दी जा रही है।

### 3. मखाना की खेती से जुड़े प्रमुख लाभ

(क) उच्च पोषण और निर्यात क्षमता-

- मखाना में “प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट” अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह “सुपरफूड” बन गया है।
- “अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर अमेरिका, चीन और यूरोप में।”

(ख) जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल-

- मखाना एक “जल-जतन (Water-efficient) फसल” है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है।

(ग) मिश्रित खेती में सहायक-

- इसे “मछली पालन, धान और अन्य जलीय फसलों के साथ उगाया जा सकता है”, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार-

- मखाना की “तोड़ाई, सुखाई, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार मिलता है।”

**निष्कर्ष:**

मखाना की खेती के लिए “दलदली भूमि, स्थिर जल स्रोत और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। बिहार भारत में मखाना का “सबसे बड़ा उत्पादक राज्य” है और इसका “वैश्विक बाजार में निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है।” सरकार की पहल, GI टैग और बढ़ती मांग के कारण यह फसल किसानों के लिए “आर्थिक रूप से लाभकारी और जलवायु-अनुकूल” बन रही है। यदि “आधुनिक तकनीकों और मार्केटिंग सपोर्ट” के साथ मखाना की खेती को और अधिक बढ़ावा दिया जाए, तो बिहार वैश्विक स्तर पर “मखाना उत्पादन का केंद्र” बन सकता है। 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड बनाये जाने की भी बात हो गयी है

**e. नदियाँ बिहार की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। कथन की समीक्षा कीजिए।**

**Rivers positively impact the economy of Bihar. Review this statement.**

बिहार, भारत के सबसे जलसमृद्ध राज्यों में से एक है, जहाँ गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन और घाघरा जैसी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ न केवल राज्य की कृषि, व्यापार और परिवहन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं, बल्कि जल विद्युत, पर्यटन और जैव-विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, बाढ़ और कटाव जैसी चुनौतियाँ भी बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।

#### **1. बिहार की अर्थव्यवस्था पर नदियों का सकारात्मक प्रभाव**

##### **(क) कृषि एवं जल संसाधन**

- बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि-प्रधान है, जहाँ करीब 77% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। नदियाँ राज्य के सिंचाई तंत्र और जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं।
- सिंचाई सुविधा: बिहार की 56% कृषि योग्य भूमि सिंचाई सुविधा से युक्त है, जिसमें गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- मृदा उर्वरता: गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हर वर्ष बाढ़ के दौरान उपजाऊ गाद (silt) जमा करती हैं, जिससे मिथिलांचल, मगध और सीमांचल क्षेत्रों की भूमि उर्वर बनी रहती है।
- फसल उत्पादन: गंगा के किनारे की उपजाऊ भूमि में धान, गेहूँ, मक्का और दलहन जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, जो बिहार की कुल कृषि GDP का लगभग 24% योगदान देती हैं (Economic Survey 2023-24)।

##### **(ख) जल परिवहन और व्यापार**

- नदियाँ बिहार में जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जिससे वाणिज्य, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1):** गंगा नदी पर हल्दिया-वाराणसी-पटना जलमार्ग बिहार के पटना और भागलपुर जैसे शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बन रहा है। यह परिवहन लागत को कम करने और औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक है।
- **बांग्लादेश और नेपाल से व्यापार:** बिहार नेपाल के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग प्रदान करता है, जहाँ गंडक और कोसी नदी के माध्यम से माल परिवहन संभव है।

##### **(ग) जल विद्युत उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा**

- बिहार में नदियों के जल प्रवाह का उपयोग हाइड्रोपावर उत्पादन के लिए किया जाता है, जो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है।
- बिहार में कई लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (small hydro projects) संचालित हैं, जैसे कि कोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोन जल विद्युत परियोजना, जो बिहार के ऊर्जा उत्पादन का लगभग 5% योगदान देती हैं।
- बिहार सरकार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) में 25% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है, जिसमें जल विद्युत एक प्रमुख स्रोत होगा।

**(घ) मत्स्य पालन और जलीय संसाधन**

- बिहार के नदियों में मत्स्य पालन (fisheries) एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है।
- बिहार देश में चौथा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है, और यहाँ मत्स्य उत्पादन 2023-24 में 7% बढ़ा (Bihar Economic Survey)।
- गंगा, कोसी और गंडक में मछली पालन से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- मत्स्य पालन का कुल योगदान बिहार की GDP में 2.5% तक पहुँच गया है।

**(ङ) पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व**

- बिहार में नदियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
- गंगा आरती (पटना और भागलपुर): वाराणसी की तर्ज पर बिहार सरकार ने पटना और भागलपुर में गंगा आरती और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है।
- राजगीर, बोधगया, और वैश्याली जैसे पर्यटन स्थलों पर गंगा और इसकी सहायक नदियों का सांस्कृतिक महत्व है।
- जल पर्यटन (Water Tourism) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2023 में "गंगा दर्शन क्रूज" सेवा शुरू की।

**2. नदियों से जुड़ी आर्थिक चुनौतियाँ**

**(क) बाढ़ और तट कटाव**

- बिहार भारत का सबसे बाढ़-प्रभावित राज्य है, जहाँ राज्य की 73% आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है (Bihar Disaster Management Report, 2023)।
- कोसी नदी को "बिहार का शोक" कहा जाता है क्योंकि इसकी बार-बार बदलने वाली धारा से हर साल हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो जाती है।

**(ख) जल प्रदूषण और पारिस्थितिक संकट**

- बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या गंभीर है, विशेष रूप से पटना, मुंगेर और भागलपुर में।
- 2023 में जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 20 से अधिक स्थानों पर गंगा का जल पीने योग्य नहीं है।

**(ग) अवैध बालू खनन और पर्यावरणीय क्षति**

- सोन और गंगा नदी में बालू खनन से नदी पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिससे नदी का प्रवाह असंतुलित हो रहा है और जल स्तर गिर रहा है।

- बिहार सरकार ने 2023 में "सस्टेनेबल सैंड माइनिंग पॉलिसी" लागू की, लेकिन अवैध खनन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

### 3. संभावित समाधान और नीति सुझाव

(क) बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन

- बिहार सरकार ने "बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान 2030" लॉन्च किया, जिसमें कोसी और गंडक के लिए बैराज निर्माण की योजना है।
- इंटर-स्टेट नदी जल प्रबंधन के तहत नेपाल के साथ समझौता किया जाना चाहिए ताकि बिहार में बाढ़ का प्रभाव कम किया जा सके।

(ख) ग्रीन एनर्जी और जल पर्यटन को बढ़ावा

- बिहार को हाइड्रोपावर और सौर ऊर्जा संयंत्रों के मिश्रण से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए।
- जल पर्यटन को "इको-टूरिज्म" के रूप में विकसित किया जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।

(ग) नदी प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ विकास

- बिहार सरकार को नमामि गंगे मिशन के तहत नदी सफाई के प्रयासों को तेज करना चाहिए।
- सख्त बालू खनन नीति लागू कर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

**निष्कर्ष:**

बिहार की नदियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। ये कृषि, पर्यटन, जल निर्यात, पर्यटन और मत्स्य पालन में सकारात्मक योगदान देती हैं। हालांकि बाढ़, जल प्रदूषण और अवैध खनन जैसी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन यदि सरकार की नीतियाँ और प्रबंधन रणनीतियाँ प्रभावी हों, तो नदियाँ बिहार की आर्थिक प्रगति और सतत विकास का महत्वपूर्ण साधन बन सकती हैं।

**8.a पिछले कुछ समय में भारतीय चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए कई सुधार और नवाचार किए हैं, परंतु फिर भी पिछले कुछ समय में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं। समीक्षा करें।**

**In recent times, the Election Commission of India has made several reforms and innovations to conduct free, fair, and transparent elections. However, there have still been questions raised regarding the role of the Election Commission in recent elections. Review this.**

भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) का गठन भारत में चुनावों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 324 से 329 तक दिए गए हैं।

**प्रावधान:**

**1. अनुच्छेद 324:** इस अनुच्छेद के तहत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने का अधिकार देता है। इसमें चुनाव आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर संपन्न हों।

**2. अनुच्छेद 325:** इस अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता की कोई जाति, धर्म, लिंग, या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है।

**3. अनुच्छेद 326:** इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत में सामान्य चुनावों के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, बशर्ते वे अन्य किसी कारण से अयोग्य न हों।

**4. अनुच्छेद 327:** यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य सरकारों को चुनावों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

**5. अनुच्छेद 328:** इस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग को राज्य के विधानसभा चुनावों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

**6. अनुच्छेद 329:** यह अनुच्छेद चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति को सीमित करता है, यानी चुनाव से संबंधित मामलों में न्यायालयों को दखल देने से बचने के लिए प्रावधान करता है।

**चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रयास और नवाचार:**

**1. ई- वोटिंग और ऑनलाइन चुनावी पंजीकरण:**

चुनाव आयोग ने ई- वोटिंग” (electronic voting) के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत, ई-वीएम (Electronic Voting Machines) और वीवीपीएटी (Voter Verified Paper Audit Trail) जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया, जिससे मतदान की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण(online voter registration) और मोबाइल एप्स के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल किया गया है, जिससे नागरिकों को अपने पंजीकरण की प्रक्रिया में आसानी होती है और चुनाव में अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

**2. वीवीपीएटी (Voter Verifiable Paper Audit Trail):**

वीवीपीएटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवीएम (Electronic Voting Machines) द्वारा किए गए मतदान को कागजी प्रमाण के साथ मिलाकर सत्यापित किया जा सके। इससे मतदाता को यह विश्वास होता है कि उनके द्वारा किया गया वोट सही स्थान पर गया है। यह एक नवाचार था, जो चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया था।

इसके अतिरिक्त, ऑडिट ट्रेल से चुनावों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को कम किया गया है और मतदाता के विश्वास को सुनिश्चित किया गया है।

**3. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निगरानी:**

चुनाव आयोग ने निर्वाचन निगरानी समूह (Election Monitoring Groups) और इंटरनेट आधारित निगरानी प्रणाली (Internet-based Monitoring System) की स्थापना की है, जिनकी मदद से चुनावी प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। इसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निगरानी रखी जाती है।

इसके अलावा, नकली नोटों की जाँच और मतदान के दौरान मतदाता को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्वों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े उपाय किए हैं।

**4. नोटा (NOTA - None of the Above) का प्रावधान:**

चुनाव आयोग ने 2013 में नोटा विकल्प की शुरुआत की, जिससे मतदाता यह विकल्प चुन सकते हैं यदि वे सभी उम्मीदवारों को नकारते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और मतदाता को यह अधिकार मिला कि वे उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकें।

#### **5. मॉडल चुनाव आचार संहिता और मतदान केंद्रों की निगरानी:**

चुनाव आयोग ने मॉडल चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लागू किया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले अनुशासन और उचित आचरण को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य चुनावी दुष्प्रचार, भ्रष्टाचार, या किसी अन्य अनैतिक गतिविधियों को रोकना है।

चुनाव आयोग ने मीडिया निगरानी, स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों, और वोटिंग प्रक्रिया की लाइव निगरानी के लिए भी कदम उठाए हैं। इससे चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाता है।

#### **6. चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग का डेटा विश्लेषण:**

चुनाव आयोग ने विभिन्न डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग शुरू किया है, जैसे मैथमैटिकल और सांख्यिकी मॉडल्स का उपयोग, जिससे चुनावी परिणामों की पहले से भविष्यवाणी की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया किसी प्रकार से प्रभावित न हो। यह विशेष रूप से भ्रष्टाचार और वोटिंग पैटर्न के संदर्भ में अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ है।

#### **7. चुनाव आयोग के अभियान और जागरूकता अभियान:**

चुनाव आयोग ने नागरिकों के बीच चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए "स्वीप" (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) अभियान चलाए हैं। इसके तहत, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों और चुनावी जानकारी प्रसार के लिए डिजिटली और भौतिक दोनों रूपों में विभिन्न उपाय किए गए हैं।

इन अभियानों के तहत, विशेषकर युवाओं और महिला मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ी है।

#### **8. चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी पर नियंत्रण:**

चुनाव आयोग ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है जिनके पास आपराधिक पृष्ठभूमि है। इसके लिए आपराधिक रिकॉर्ड के साथ उम्मीदवारों के नाम का सार्वजनिककरण किया जाता है, और उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान इस जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया जाता है।

इसके अलावा, कड़ी वित्तीय निगरानी और प्रभावी कड़ी सजा के साथ, चुनाव आयोग ने चुनाव में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने के प्रयास किए हैं।

#### **9. चुनाव आयोग द्वारा नवीनीकरण और सुधार:**

चुनाव आयोग ने मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए हैं, जैसे E-polling और वोटिंग ट्रेकिंग सिस्टम। इन तकनीकों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

**चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते प्रश्नचिन्ह:**

#### **1. सख्त कार्रवाई में कमी:**

चुनाव आयोग के नवाचार और प्रयासों के बावजूद, कुछ मामलों में आयोग की “सख्त कार्रवाई” की कमी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार, धनबल और बाहुबल का प्रभाव, विशेष रूप से चुनावी हिसा और मतदाताओं पर दबाव डालने के मामलों में, चुनाव आयोग ने अपेक्षाकृत कम प्रभावी कदम उठाए हैं। यह स्थिति चुनाव आयोग की निष्कलंक भूमिका पर सवाल उठाती है।

## **2. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभाव:**

चुनाव आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का खुलासा किया जाता है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों के चुनावी दौरे और प्रचार में धन और बाहुबल का प्रभाव कम नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने इन उम्मीदवारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की दिशा में उतना प्रभावी कदम नहीं उठाया, जितना अपेक्षित था। इस संदर्भ में आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठते हैं।

## **3. नकली मतदान और चुनावी भ्रष्टाचार:**

हालाँकि, चुनाव आयोग ने ईवीएम” और वीवीपीएटी जैसी तकनीकी प्रक्रियाएँ लागू की हैं, फिर भी नकली मतदान और चुनावी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। कई बार यह आरोप लगते हैं कि चुनावों में पैसे और अन्य संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होती है। चुनाव आयोग को इन मुद्दों पर सख्त नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

## **4. राजनीतिक दबाव और प्रभाव:**

चुनाव आयोग पर कभी-कभी राजनीतिक दबाव का आरोप लगता है, खासकर जब कुछ निर्णयों में समयबद्धता और निष्पक्षता की कमी महसूस होती है। चुनाव आयोग को हमेशा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन कई बार सरकारों के प्रभाव में चुनाव आयोग के निर्णय प्रभावित होते हैं। इसका एक उदाहरण है जब सरकार द्वारा किए गए चुनावी निर्णयों को लेकर चुनाव आयोग के निष्कर्षों पर प्रश्न उठाए जाते हैं।

## **5. वोटिंग प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएँ:**

चुनाव आयोग द्वारा ई-वीएम और वीवीपीएटी जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं को लागू करने के बावजूद, टेक्निकल गड़बड़ी और वोटिंग मशीनों की खराबी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, जिनसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग को इन तकनीकी उपकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

## **6. मतदाताओं की जागरूकता में कमी:**

हालाँकि चुनाव आयोग ने SVEEP और अन्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन मतदाताओं में जागरूकता की कमी और निर्णय लेने में गलतफहमी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में आयोग को और अधिक प्रभावी जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

### **निष्कर्ष:**

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के आयोजन में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं और चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, आयोग की भूमिका पर कुछ चुनौतियाँ और सवाल उठते रहे हैं। सख्त कार्रवाई की कमी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी, चुनावी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव जैसे मुद्दे चुनाव आयोग के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव आयोग को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, ताकि भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे।

**b. सीमित संसाधन वाले बिहार में लगातार बढ़ती जनसंख्या राज्य के लिए अभिशाप साबित हो सकती है। कथन की विश्लेषणात्मक समीक्षा कीजिए।**

**In resource-limited Bihar, the continuously growing population can prove to be a curse for the state. Provide an analytical review of this statement.**

संसाधन वे सभी चीजें होती हैं जिनका उपयोग किसी कार्य को पूरा करने, लक्ष्य को प्राप्त करने या जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक, मानवजनित या वित्तीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संसाधन (जल, हवा, भूमि), मानव संसाधन (कर्मचारी, कौशल), और वित्तीय संसाधन (धन, पूंजी) शामिल हैं। संसाधन किसी भी कार्य या परियोजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। संसाधन के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे “प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, और सामाजिक-आर्थिक संसाधन। बिहार में इन संसाधनों का विश्लेषण करते हुए, हम देख सकते हैं कि राज्य में कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी जरूर हो सकती है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में संसाधनों की प्रचुरता भी है।

#### 1. प्राकृतिक संसाधन:

बिहार में “प्राकृतिक संसाधनों” की स्थिति मिश्रित है। जबकि बिहार में कई प्रमुख “प्राकृतिक संसाधन” उपलब्ध हैं फिर भी राज्य के संसाधनों का सही तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है।

सकारात्मक पहलू:

- “भूमि और जल संसाधन:” बिहार में “उर्वरक मिट्टी, नदियाँ (गंगा, सोन, आदि)” और “सिंचाई के लिए जल” की प्रचुरता है। “कृषि आधारित संसाधन” जैसे “धान, मक्का, गन्ना, और ज्वार” राज्य में व्यापक रूप से उत्पन्न होते हैं।
- “खनिज संसाधन:” बिहार के कुछ हिस्सों में “कोयला, लोहा, चूना पत्थर, और बालू” जैसे खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिकीकरण के लिए किया जा सकता है।

नकारात्मक पहलू:

- हालांकि, “खनिज संसाधनों का दोहन” और “औद्योगिकीकरण” में बिहार पिछड़ा हुआ है। राज्य में बड़े औद्योगिक निवेश और खनिज संसाधनों के विकास की गति बहुत धीमी है।
- “जलवायु परिवर्तन” और “प्राकृतिक आपदाएं” जैसे “बाढ़” और “सूखा” बिहार के प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन और जल प्रबंधन पर दबाव पड़ता है।

#### 2. मानव संसाधन:

सकारात्मक पहलू:

- बिहार में “मानव संसाधन” की प्रचुरता है, क्योंकि राज्य की “जनसंख्या” विशाल है और यह युवा है। राज्य में “शिक्षा” के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम हो रहा है, जिससे “मानव पूंजी” का विकास हो सकता है।
- “श्रमिक वर्ग” की उपलब्धता, खासकर कृषि और निर्माण उद्योगों में, बिहार को कुछ क्षेत्रों में लाभ प्रदान करती है।

नकारात्मक पहलू:

- हालांकि, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के “मानव संसाधन” का पूरा लाभ नहीं उठाया जा पा रहा है। “कौशल विकास” की कमी और “प्रवृत्तियों” की कमी राज्य के श्रमिकों की उत्पादकता को प्रभावित करती है।

### 3. वित्तीय संसाधन:

सकारात्मक पहलू:

- बिहार में राजस्व संग्रह की स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की नीतियों के माध्यम से वित्तीय संसाधन का प्रवाह बढ़ाया जा रहा है।
- राज्य में निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत नई औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई हैं। इसके साथ ही, बुनियादी ढांचे पर भी काम हो रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि में तेजी आ सकती है।

नकारात्मक पहलू:

- बिहार की वित्तीय स्थिति कई मायनों में कमजोर है। राज्य पर बड़ी वित्तीय देनदारियाँ हैं, जो विकास के प्रयासों में बाधक बनती हैं।
- निवेश की गति धीमी है और औद्योगिकीकरण में पिछड़ने के कारण वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है।

### 4. सामाजिक-आर्थिक संसाधन:

सकारात्मक पहलू:

- बिहार में सामाजिक संसाधन जैसे सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएँ, और संस्कृति का विशाल धरोहर है, जो राज्य की पर्यटन और सामाजिक संगठनों के विकास में सहायक हो सकता है।
- राज्य में खादी और हस्तशिल्प उद्योग की भी अच्छी संभावना है, जिससे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।

नकारात्मक पहलू:

- सामाजिक असमानताएँ और संवेदनशील मुद्दे जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, और जातिवाद की समस्याएँ भी बिहार के विकास में बाधक बनती हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में कई चुनौतियाँ हैं, जो मानव संसाधन के पूर्ण उपयोग में रुकावट डालती हैं।
- बढ़ती जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय प्रभाव

### 1. आर्थिक विकास पर प्रभाव:

- संसाधनों पर दबाव: बिहार की जनसंख्या 2021 में 13.1 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 9% है। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि, जल स्रोत, और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- उदाहरण के लिए, बिहार में कृषि भूमि के घनत्व में वृद्धि के कारण, उत्पादकता पर असर पड़ सकता है। अगर खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में समस्याएँ आती हैं, तो यह गरीबी और भूख के स्तर को बढ़ा सकता है।
- बेरोजगारी: 2021 में बिहार में बेरोजगारी दर 10.5% थी, जो भारत की औसत बेरोजगारी दर से काफी अधिक है (भारत की औसत बेरोजगारी दर लगभग 7.6% थी)। बढ़ती जनसंख्या और अपर्याप्त रोजगार के कारण बेरोजगारी की समस्या और गहरी हो सकती है।

- बिहार में स्किल डेवलपमेंट की कमी के कारण, जो बढ़ती जनसंख्या में युवा हैं, उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं।
- श्रम शक्ति: बिहार में बढ़ती जनसंख्या श्रमिक वर्ग के रूप में एक संसाधन प्रदान कर सकती है। 2021 की जनगणना के अनुसार, बिहार में युवाओं (15-29 वर्ष) की संख्या काफी अधिक है। यदि इन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, तो ये आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं।
- बाजार का विस्तार: बढ़ती जनसंख्या के कारण बिहार का बाजार भी बढ़ सकता है, जिससे विभिन्न उद्योगों और व्यापारों को मांग में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। यह स्थानीय उद्योगों और सेवाओं के लिए अवसर प्रदान कर सकता है।

## **2. शिक्षा और कौशल विकास पर प्रभाव:**

- शिक्षा प्रणाली पर दबाव: बिहार में पहले से ही शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियाँ हैं। 2020-21 में बिहार में शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) 76% था, जबकि भारत का GER औसतन 80% था। बढ़ती जनसंख्या से स्कूलों और कॉलेजों पर दबाव बढ़ सकता है।
- कौशल विकास की कमी: बिहार में कौशल विकास कार्यक्रमों का अभाव है, जिससे युवाओं को उपयुक्त कौशल नहीं मिल पाते। बढ़ती जनसंख्या का सकारात्मक उपयोग तब ही संभव है जब इन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
- बिहार में मनरेगा और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों के जरिए बढ़ती जनसंख्या को कौशल विकास और रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। अगर इन कार्यक्रमों में सुधार किया जाता है, तो मानव संसाधन का सकारात्मक उपयोग हो सकता है।

## **3. स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव:**

- स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव: बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, बिहार में प्रजनन दर 3.2 है, जो भारत की औसत प्रजनन दर (2.0) से अधिक है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है।
- कुपोषण: बिहार में कुपोषण की समस्या गंभीर है। NFHS-5 के अनुसार, बिहार में 35.7% बच्चों की ऊँचाई उम्र के हिसाब से कम है (जो कुपोषण का संकेत है)। बढ़ती जनसंख्या से यह समस्या और बढ़ सकती है।
- स्वास्थ्य देखभाल की कमी: बिहार में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ये समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: यदि बिहार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश करती है और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करती है, तो बढ़ती जनसंख्या के बावजूद “स्वास्थ्य देखभाल” में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

## **4. पर्यावरणीय दबाव:**

- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन: बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो सकता है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है।
- प्रदूषण: बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या और बढ़ सकती है।
- अगर बिहार सरकार हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास की नीतियों को लागू करती है, तो बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरणीय दबाव कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा और वनीकरण की पहलें राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकती हैं।

## **5. सामाजिक समस्याएं:**

- सामाजिक असमानताएँ: बिहार में पहले से ही “सामाजिक असमानताएँ, जातिवाद, और गरीबी की समस्याएँ मौजूद हैं। बढ़ती जनसंख्या इन समस्याओं को और बढ़ा सकती है, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं।
- सामाजिक कल्याण की कमी: बढ़ती जनसंख्या के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं और सुविधाओं पर अधिक दबाव पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार और प्रभावी नीति की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- अगर बिहार सरकार सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं में सुधार करती है, तो बढ़ती जनसंख्या को सामाजिक कल्याण के अवसरों के रूप में सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है।

**निष्कर्ष:**

"बिहार में संसाधन सीमित हैं" सत्य नहीं है, क्योंकि राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग और उत्तम प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएँ इन संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करें, तो बिहार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रगति में काफी सुधार हो सकता है।

बिहार में बढ़ती जनसंख्या अभिशाप साबित हो सकती है यदि इसका प्रभावी प्रबंधन नहीं किया गया। हालांकि, अगर कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, और सामाजिक कल्याण योजनाओं में सुधार किया जाए, तो बढ़ती जनसंख्या को एक सकारात्मक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि बिहार के लिए बढ़ती जनसंख्या अभिशाप नहीं, बल्कि चुनौती है जिसे सही दिशा में प्रबंधित किया जा सकता है।